(279)

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर-492002

क्रमांक 2284/एल-8-04/2010/ब-4/चार रायपुर, दिनांक 02/03/2012

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वन / पंचायत एवं ग्रामीण विकास / वित्त /योजना, आर्थिक एवं सांख्यकीय / गृह/जेल / लोक निर्माण / राजस्व एवं आपदा प्रबंधन / आवास एवं पर्यावरण / खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण /नगरीय प्रशासन एवं विकास / महिला एवं बाल विकास / सामान्य प्रशासन / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / संस्कृति विभाग
मंत्रालय, रायपुर.

विषय:-तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान हेतु राज्य उच्च अधिकार समिति की तृतीय बैठक दिनांक 09 फरवरी, 2012 का कार्यवृत्त ।

----0000----

विषयांतर्गत राज्य उच्च अधिकार समिति की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

2. तेरहवें वित्त आयोग के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देश, राशि की विमुक्ति एवं अन्य संबंधित जानकारी वित्त विभाग के वेबसाईट **http://cgfinance.nic.in** पर उपलब्ध है ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

(प्रशांत लाल)
शोध अधिकारी
वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 2285 /एल-8-04/2010/ब-4/चार रायपुर, दिनांक 02/03/2012

प्रतिलिपि-

1. संचालक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लाक नं. -11, 5 वीं मंजिल, सी.जी.ओ.कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
2. सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली.
3. सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली.
4. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली.
5. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.
6. सचिव, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली.
7. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली.
8. स्टाफ आफिसर, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, रायपुर.
9. श्री बघेल, प्रोग्रामर, एफ.एम.आई.एस., मंत्रालय, रायपुर.

श्री बघेल (FMIS) website पर पुनः अपलोड करें।

शोध अधिकारी
वित्त विभाग

13-F.C. H.L.C.Meeting

2 80

तेरहवें वित्त आयोग अनुशंसा अनुदान हेतु दिनांक 09/02/2012 को आयोजित राज्य उच्च अधिकार अनुश्रवण समिति की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 09 फरवरी, 2012 को राज्य उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की तृतीय बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है। बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

एजेण्डा क्रमांक-1. गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर हुई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति-

प्रमुख सचिव वित्त द्वारा समिति की बैठक दिनांक 24.09.2011 में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया । यू.आई.डी. के संबंध में सचिव खाद्य विभाग द्वारा यह बताये जाने पर कि टेन्डर जारी करने के पश्चात भी इनरॉलमेंट एजेंसी के नहीं आने के कारण राशि व्यय नहीं हो पा रही है, मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि भारत शासन से प्राप्त दिशा-निर्देश अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जाकर एक सप्ताह के अंदर प्रस्ताव वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जावे ।

(कार्यवाही प्रमुख सचिव, खाद्य विभाग)

समिति को अवगत कराया गया कि बैठक दिनांक 24.09.2011 के निर्देशानुसार दिनांक 29 सितम्बर 2011 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिवों से प्रमुख सचिव वित्त द्वारा विचार विमर्श किया गया । यह पाया गया कि सड़को का रखरखाव मद के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार यह राशि केवल सड़कों के संधारण पर ही व्यय की जा सकती है । अतः इस मद से स्वच्छता मद में राशि का प्रावधान नहीं किया जा सकता है । दिनांक 15.12.2011 को स्वच्छता मद के लिए राशि उपलब्ध कराने के संदर्भ में प्रमुख सचिव वित्त द्वारा मुख्य सचिव को लेख किया गया कि इस मद हेतु राशि का प्रावधान पंचायत निकायों को प्राप्त होने वाले अबद्ध अनुदान से भी किया जा सकता है । 12वें वित्त आयोग में भी ऐसी व्यवस्था थी । समिति द्वारा पंचायतों की स्वायत्तता को देखते हुए पंचायत निकायों को प्राप्त होने वाले अबद्ध अनुदान से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को स्वच्छता मद के लिए राशि उपलब्ध कराने की सहमति नहीं व्यक्त की गयी ।

समिति को यह अवगत कराया गया कि पुरातत्व संरक्षण (संस्कृति विभाग) तथा सांख्यिकी प्रणाली में सुधार (योजना विभाग) की कार्ययोजनाएं समिति की पिछली बैठक में अनुमोदित की जा चुकी है । सचिव योजना द्वारा बताया गया कि अनुमोदित कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु एक माह के अंतर्गत स्वीकृत पदों को आऊट सोर्सिंग से भरा जायेगा ।

(कार्यवाही योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग)

समिति को अवगत कराया गया कि प्रशासन अकादमी के निर्माण (सामान्य प्रशासन विभाग) तथा क्षमता निर्माण (राजस्व विभाग) की कार्ययोजनाओं पर मुख्य सचिव व राज्य उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष का परिभ्रमण में अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, अब समिति के औपचारिक कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है ।

भारत सरकार से वर्ष 2011-12 में प्राप्त होने वाला अनुदान एवं विमुक्त राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति-

समिति द्वारा भारत सरकार से वर्ष 2011-12 में प्राप्त होने वाला अनुदान एवं विमुक्त राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति की समीक्षा की गई । मुख्य सचिव द्वारा समिति के सभी सदस्यों को वर्ष 2011-12 में प्राप्त राशि का शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजकर भारत सरकार से प्राप्त होने वाली शेष राशि को प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया । साथ ही वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के अनुमोदित सभी कार्यों की यथा आवश्यक प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये ताकि राशि का शीघ्र का उपयोग किया जा सके । मुख्य सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक के अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार सभी कार्यों की यथा आवश्यक प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संबंधित विभागों द्वारा सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित किया जावें ।

एजेण्डा कमांक-3. विभागों से प्राप्त कार्ययोजनाओं का अनुमोदन -

विभिन्न विभागों से प्राप्त पांच कार्ययोजनाओं यथा सड़क और पुल मरम्मत अनुदान (संशोधित) (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) क्षमता निर्माण (राजस्व विभाग), प्रशासन अकादमी का निर्माण(सामान्य प्रशासन विभाग), आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण (संशोधित) महिला एवं बाल विकास विभाग, नया रायपुर का विकास (संशोधित) (सामान्य प्रशासन विभाग/आवास एवं पर्यावरण विभाग/लोक निर्माण विभाग) पर भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के आधार पर समिति द्वारा अनुमोदन/कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

(1) सड़क/पुल के रख-रखाव-

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्ष 2011-12 में प्राप्त होने वाले अनुदान राशि ₹ 69.00 करोड़ की शत-प्रतिशत राशि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत संड़कों के संधारण में किया जावे । इस हेतु संशोधित कार्ययोजना **(परिशिष्ट-01)** का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

(2) क्षमता निर्माण -

वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक प्रति वर्ष ₹ 4.00 करोड़ कुल ₹ 20.00 करोड़ के विभागीय कार्ययोजना **(परिशिष्ट-02)** का समिति द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग)

(3) प्रशासन अकादमी का निर्माण

समिति द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रशासन अकादमी के निर्माण हेतु वर्ष 2011-12 से प्रारंभ होने वाली चार चरणों में राशि ₹ 28.00 करोड़ (प्रत्येक चरण ₹ 7.00 करोड़) के कार्ययोजना **(परिशिष्ट-03)** का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग)

282

(4) **आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण -**

वर्ष 2011-12 हेतु राशि ₹ 3748.50 लाख के संशोधित विभागीय कार्ययोजना के (परिशिष्ट-04) अनुमोदन किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के 833 आंगनबाड़ी भवनों को 4.50 लाख प्रति भवन की दर से निर्माण करवाया जावेगा ।

(कार्यवाही महिला एवं बाल विकास विभाग)

(5) **नया रायपुर का विकास -**

वर्ष 2011-12 हेतु राशि ₹ 137.50 करोड़ के संशोधित विभागीय कार्ययोजना के अनुमोदन के साथ विभाग के वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक के ₹ 550.00 करोड़ के कार्ययोजना (परिशिष्ट-05) का अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही सामान्य प्रशासन/आवास एवं पर्यावरण/लोक निर्माण विभाग)

एजेण्डा कमांक-4. वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की जानकारी :-

समिति द्वारा 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त सहायता के विरूद्ध भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति की समीक्षा की गई एवं यह निर्देश दिए गए कि संबंधित सभी विभाग प्राथमिकता पर कार्ययोजनाओं को समय सीमा में कियान्वित करने हेतु एक समय सारिणी तैयार करें । यथा समय सक्षम अधिकारी से प्रशासकीय स्वीकृतियां आदि प्राप्त कर राशि का उपयोग समय सीमा में किया जाए एवं निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए ।

(कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास/वन/गृह/जेल/वित्त/ आवास एवं पर्यावरण/राजस्व /नगरीय प्रशासन एवं विकास /महिला एवं बाल विकास/ योजना आर्थिक एवं साख्यिकी /स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/स्कूल शिक्षा/सामान्य प्रशासन /संस्कृति विभाग)

अंत में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई ।

(मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

1/3

(डॉ. ए.के.सिंह)
सदस्य सचिव

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

1.	श्री अजय सिंह	-	प्रमुख सचिव, वित्त
2.	श्री एम.के.राऊत	-	प्रमुख सचिव, राजस्व एवं लोक निर्माण विभाग
3.	श्री एन.के.असवाल	-	प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल
4.	श्रीमती निधि छिब्बर	-	सचिव, सामान्य प्रशासन
5.	श्री देवाशीष दास	-	सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
6.	श्री विकास शील	-	सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
7.	डॉ. जितेन कुमार	-	सचिव, खाद्य
9.	श्री पी.सी. मिश्रा	-	सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी
10.	श्री एस.एस. बजाज	-	विशेष सचिव, आवास एवं पर्यावरण

224

विभागाध्यक्ष कार्यालय

1.	श्री अनील नवानी	-	महानिदेशक, पुलिस
2.	श्री एस.के.पासवान	-	महानिदेशक, जेल
3.	श्री अवध बिहारी	-	आयुक्त कोष लेखा एवं पेंशन
4.	श्री संजय शुक्ला	-	आयुक्त, नगरीय प्रशासन
5.	श्री संजय पिल्ले	-	महानिरीक्षक, पुलिस
6.	श्री पी.के. जनवदे	-	प्रमुख अभियंता लोक निर्माण
7.	श्री विनोद कुमार लाल	-	महाप्रबंधक (वित्त), एन.आर.डी.ए.

परिशिष्ट-01

235

छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल 160 सड़को के मरम्मत की जिलेवार कार्यसूची का गोशवारा

(लंबाई कि.मी. में, राशि रू. लाख में)

स. क्र.	जिले का नाम	सड़कों की संख्या	कुल लंबाई	स्वीकृत राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	बस्तर	9	75.64	1007.63	
2	बिलासपुर	13	60.10	454.94	
3	दन्तेवाड़ा	1	21.30	165.73	
4	दुर्ग	23	84.08	973.87	
5	जांजगीर चांपा	12	49.17	349.95	
6	जशपुर	2	10.24	112.71	
7	कांकेर	13	51.93	426.02	
8	कवर्धा	15	61.46	504.25	
9	कोरिया	21	97.04	842.60	
10	रायगढ़	6	21.95	160.66	
11	राजनांदगांव	19	76.67	760.80	
12	सरगुजा	26	155.83	1081.69	
महायोग		160	765.41	6840.85	

(Say Rs. 68.41 Crore)

Ajay Chaudhari A.E. CGRRDA RC-4

9/2/12
RAKESH SHARMA
SE (CGRRDA)
Raipur

छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत रू. 20.00 लाख से कम लागत के 42 सड़को के मरम्मत का जिलेवार गोशवारा।

(लंबाई कि.मी. में, राशि रू. लाख में)

स. क्र.	जिले का नाम	सड़कों की संख्या	कुल लंबाई	स्वीकृत राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	बस्तर	2	2.40	11.56	
2	बिलासपुर	7	12.80	85.51	
3	दुर्ग	5	9.04	76.53	
4	जांजगीर चांपा	2	3.74	24.76	
5	कांकेर	4	16.15	31.13	
6	कवर्धा	4	6.86	58.32	
7	कोरिया	5	8.78	69.73	
8	रायगढ़	3	7.35	37.53	
9	राजनांदगांव	4	6.12	53.23	
10	सरगुजा	6	12.00	77.52	
महायोग		42	85.24	525.82	

(Say Rs. 5.26 Crore)

A.E. CGRRDA
RC-9
Ajay Chaudhari

छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत रू. 20.00 लाख से कम लागत के 42 सड़को के मरम्मत की जिलेवार कार्यसूची।

स. क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड	सड़क का नाम	लंबाई	वित्तीय स्वीकृति
1	2	3	4	5	8
1	बस्तर	बस्तर	एन.एच.43 कुदालगांव स्कूलपारा से पटेलपारा	0.90	1.72
2		दरभा	जे.के. रोड से बोकराओड़ार	1.50	9.84
		योग		**2.40**	**11.56**
3	बिलासपुर	पथरिया	पथरिया मुंगेली एम.डी.आर. से नहनाजोता	2.51	16.78
4		मरवाही	पेण्ड्रा सिवनी से खुरपा	1.55	5.04
5		बिल्हा	एन.एच. 200 से हरदी	0.6	4.09
6		बिल्हा	एन.एच. 200 से मन्नाडोल	1.1	7.55
7		मस्तुरी	जोंधरा से भिलौनी	2.52	16.65
8		पेण्ड्रा	बसंतपुर कारीआम से लाटा	2.02	17.56
9		मस्तुरी	सोंढ़ी से जुली	2.5	17.84
		योग		**12.80**	**85.51**
10	दुर्ग	बेरला	मेनरोड से करेली	2.31	17.87
11		बेरला	मेनरोड से खमतराई	1.7	15.28
12		बेरला	मेनरोड से कुम्ही	1.8	15.59
13		डोंडी	पिच्चेटोला से मरकाटोला	1.25	11
14		गुरूर	दर्रा से सरबदा	1.98	16.79
		योग		**9.04**	**76.53**
15	जांजगीर–चांपा	अकलतरा	अरस मेटा से परसदा	2.19	15.73
16		नवागढ़	करसंदा से केसला	1.55	9.03
		योग		**3.74**	**24.76**
17	कांकेर	नरहरपुर	बांसपारा कुरालठेमली से मासुलपानी जामगांव रोड	8	4.62
18		नरहरपुर	पहरूपारा बादल से सुरही	5.5	3.44

A.E.
CGRRDA
Ajay Chaudhari

स. क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड	सड़क का नाम	लंबाई	वित्तीय स्वीकृति
19		चारामा	भिरौद से पंडरीपानी	1.9	16.62
20		कांकेर	एन.एच. 32 से कन्हारपुरी	0.75	6.45
		योग		**16.15**	**31.13**
21	कवर्धा	पंडरिया	मेनरोड से पौनी	1.6	15.24
22		कवर्धा	मेनरोड से घाटिया	1.88	15.5
23		पंडरिया	मेनरोड से परसवारा	1.15	10.69
24		स. लोहारा	खैरझिटी से समरिया	2.23	16.89
		योग		**6.86**	**58.32**
25	कोरिया	बैकुण्ठपुर	टी. 05 से केनापारा	2.42	16.64
26		बैकुण्ठपुर	टी. 01 से माझापारा	2.13	14.21
27		बैकुण्ठपुर	एल.–080 से अनिहापारा	1.23	9.41
28		खड़गवां	पटेलपारा से महुआपारा	1.5	11.24
29		खड़गवां	टी. 07 से पनारी	1.5	18.23
		योग		**8.78**	**69.73**
30	रायगढ़	पुसौर	पुसौर से छिंच	2.6	14.85
31		रायगढ़	रायगढ़ घरघोड़ा से कृष्णापुर	1.4	6.31
32		खरसिया	रायगढ़ खरसिया रोड से पामगढ़	3.35	16.37
		योग		**7.35**	**37.53**
33	राजनांदगांव	राजनांदगांव	आर.ए.जी. मार्ग से भोथीपारखुर्द	1.2	12.79
34		चौकी	टी. 06 से मोगरा	2.27	18.4
35		चौकी	टी. 06 से खड़खड़ा	1.2	10.06
36		चौकी	मुड़पार से विचारपुर	1.45	11.98
		योग		**6.12**	**53.23**
37	सरगुजा	भैयाथान	बांसपारा से गंगोटी	2	14.39
38		वाड्रफनगर	वाड्रफनगर से रजखेताकला	2.5	16.32
39		रामचंद्रपुर	रामचंद्रपुर सनावल रोड से रेवतीपुर	1.2	10.44
40		सीतापुर	बकरीपारा से कोरबापारा	2.7	16.16
41		सीतापुर	केरजु से कुमनसिया	2.8	15.3
42		रामानुजनगर	पतरापाली से माझापारा	0.8	4.91
		योग		**12.00**	**77.52**

महायोग	**85.24**	**525.82**

A.E. CGRRDA
Ac-9
Ajay Chaudhari

289

छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत रू. 20.00 लाख से अधिक लागत के 118 सड़को के मरम्मत का जिलेवार गोशवारा ।

(लंबाई कि.मी. में, राशि रू. लाख में)

स. क्र.	जिले का नाम	सड़कों की संख्या	कुल लंबाई	स्वीकृत राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	बस्तर	7	73.24	996.07	
2	बिलासपुर	6	47.30	369.43	
3	दन्तेवाड़ा	1	21.30	165.73	
4	दुर्ग	18	75.04	897.34	
5	जांजगीर चांपा	10	45.43	325.19	
6	जशपुर	2	10.24	112.71	
7	कांकेर	9	35.78	394.89	
8	कवर्धा	11	54.60	445.93	
9	कोरिया	16	88.26	772.87	
10	रायगढ़	3	14.60	123.13	
11	राजनांदगांव	15	70.55	707.57	
12	सरगुजा	20	143.83	1004.17	
	महायोग	118	680.17	6315.03	

(Say Rs. 63.15 Crore)

A.E. RC-9.

छत्तीसगढ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

290

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत रू. 20.00 लाख से अधिक लागत के 118 सड़को के मरम्मत की जिलेवार कार्यसूची ।

स. क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड	सड़क का नाम	लंबाई	मरम्मत हेतु आवश्यक राशि
1	2	3	4	5	8
1	बस्तर	वास्तानार	वड़ेकाकलूर कापानार से डववापारा बड़ैकाकलूर	7.70	56.79
2		वस्तर	एन.एच. 43 से कोलचुर	5.02	39.79
3		वस्तर	एन.एच. 43 सोनारपाल से नारायणपाल	9.80	92.10
4		वस्तर	वस्तर से वनियागांव	23.60	263.80
5		दरभा	जे.के. रोड से डूरकीटोंगा	3.81	26.31
6		दरभा	जे.के. रोड कुकानार से कुम्हारराास	4.70	29.48
7		दरभा	जे.के. रोड आर.डी. 19.50 किमी. नेगानार से कांडकीरास	18.61	487.80
			योग	**73.24**	**996.07**
8	बिलासपुर	पथरिया	पथरिया सरगांव एम.डी.आर. से लामटी	17.25	127.40
9		मस्तुरी	जेवरा नवापारा निरतू से आमानार	9.77	78.61
10		बिल्हा	बिल्हा से देव किरारी	3.88	28.06
11		मस्तुरी	जयराम नगर से रॉक	9.30	80.02
12		मरवाही	लोहारी से मनोरा	4.00	31.32
13		मरवाही	कुम्हारनटोला सेकवा से मड़ई	3.10	24.02
			योग	**47.30**	**369.43**
14	दंतेवाड़ा	छिंदगढ़	छिंदगढ़ से गुमा	21.30	165.73
			योग	**21.30**	**165.73**
15	दुर्ग	धमधा	मेनरोड से साल्हेखुर्द	2.64	31.06
16		धमधा	घेटवानी से बरहापुर	7.21	78.04
17		धमधा	मेनरोड से परसदा	1.80	63.19
18		दुर्ग	निकुम रूद्रा भाथली	6.00	54.42
19		साजा	धिवरी से कंदई	8.00	69.31
20		साजा	बिजागोंड से नवांगांव (जी)	3.00	25.35
21		साजा	गाडाडही से हाथीडोब	3.34	30.84
22		साजा	मेनरोड से पतौरा डंगनिया	5.80	50.34

A.E.
CGRRDA
Ajay Chaudhari

स. क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड	सड़क का नाम	लंबाई	मरम्मत हेतु आवश्यक राशि
23	दुर्ग	बेरला	मेनरोड तिलई	4.11	34.27
24		बेरला	आनंद गांव से लावातरा	4.90	45.93
25		बेरला	आनंद गांव से भर्दा	2.32	21.56
26		गुरूर	मिरीटोला गंगरेल से बोरीदकला	2.61	33.85
27		गुंडरदेही	फुंडा से कजराबांधा	7.06	107.83
28		डोंडी	डोंडी से कामता	1.85	28.22
29		डोंडीलोहारा	मेन रोड से परसाडीह कोसमी (जी)	4.03	37.41
30		डोंडीलोहारा	डोंडीलोहारा से मडीयाकट्टा	5.00	108.17
31		डोंडी	चिखली से बोरगांव	3.30	40.02
32		डोंडी	लिमहाटोला से कुसुमटोला	2.07	37.53
			योग	**75.04**	**897.34**
33	जांजगीर चाम्पा	नवागढ़	मुख्यमार्ग राक्षाभाठा से ठाकुरदिया	5.50	44.09
34		अकलतरा	मुख्यमार्ग से भैंसतरा	3.10	22.67
35		पामगढ़	मेउ भाठा से कोडाभाट	9.81	71.65
36		डभरा	कोटमी से खरकेना	4.05	33.42
37		जैजेपुर	कुतराबोड से हरिथिकला	3.70	26.79
38		जैजेपुर	जैजेपुर से अरसिया	3.98	23.54
39		जैजेपुर	परसाडीह से सेन्दरी	5.10	31.22
40		मालखरौदा	मुख्यमार्ग से सपीया	3.09	21.28
41		सक्ति	सकरेली से रेड़ा	7.10	50.53
42		अकलतरा	कोटमी अकलतरा रोड से पकरिया	5.50	40.64
			योग	**45.43**	**325.19**
43	जशपुर	बगीचा	रेगुला से ढेंगुर जोर	5.60	34.08
44		कुनकुरी	औरीजोर से हर्राडांड	4.64	78.63
			योग	**10.24**	**112.71**
45	कांकेर	चारामा	हाराडुला से भिरौद	5.60	51.51
46		चारामा	अरौद से कुर्रुभाट	3.30	41.46
47		चारामा	पुरी से मयाना	4.48	46.12
48		चारामा	चारामा से गिरहोला	2.90	31.62
49		नरहरपुर	डवरखार से सारण्डा	4.20	50.12
50		कांकेर	एन.एच. 43 से कोकउी	3.50	32.01
51		नरहरपुर	टी–02 करप से अंजनी खासपारा	3.50	35.29
52		कांकेर	कोरर पुरी रोड से केवटीनटोल	3.80	57.31
53		कांकेर	एस.एच. 06 से कोदागावं	4.50	49.45
			योग	**35.78**	**394.89**

A.E.
CGRRDA

स. क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड	सड़क का नाम	लंबाई	मरम्मत हेतु आवश्यक राशि
54	कवर्धा	पण्डरिया	भगतपुर से सैहामालगी	13.10	32.81
55		स. लोहारा	विरेन्द्र नगर से कोहडीया	3.75	31.04
56		स. लोहारा	मेन रोड से सारी	2.94	24.31
57		बोड़ला	मेन रोड से बेन्द्राची	4.34	34.33
58		स. लोहारा	मेन रोड से बिरनपुर	5.26	52.04
59		स. लोहारा	अगरी स कुआं	4.23	60.61
60		पण्डरिया	मेनरोड से खण्डसरा	4.55	43.43
61		कवर्धा	मेन रोड से मानिकचौरी	3.41	46.41
62		पण्डरिया	पालनसरी से रैंतापारा	3.40	36.13
63		स. लोहारा	मेन रोड से धनोरा	7.00	61.45
64		पण्डरिया	मेन रोड से पेन्ड्रीखुर्द	2.62	23.37
			योग	**54.60**	**445.93**
65	कोरिया	बैकुण्ठपुर	डुमरिया से पिपरा	4.86	47.06
66		खड़गवां	शिवपुर से उधनापुर	10.00	78.25
67		खड़गवां	छोंटे कलुवा से कदरेवा	7.00	54.68
68		मनेन्द्रगढ़	नागपुर से हर्रा	3.50	42.56
69		मनेन्द्रगढ़	नागपुर से चिवईपानी	5.30	64.63
70		मनेन्द्रगढ़	भौंता से छिपछिपी	4.00	44.53
71		बैकुण्ठपुर	टी–07 से भण्डारपारा	4.00	27.29
72		मनेन्द्रगढ़	डोड़की से पसौरी	8.25	74.27
73		बैकुण्ठपुर	बैकुण्ठपुर से कोसमपारा	3.35	36.93
74		बैकुण्ठपुर	टी–04 से करहीपारा	2.51	34.64
75		बैकुण्ठपुर	टी–04 से बरदियापारा	6.03	38.96
76		खड़गवां	बोड़ेमुड़ा से पेण्ड्री	4.60	38.82
77		खड़गवां	बचरा से बैमा	4.50	45.86
78		खड़गवां	कोडा से नवारी	2.00	20.90
79		खड़गवां	एम.डी.आर. से लोहारी	7.86	65.60
80		सोनहट	सोनहट से खोडारी व्याहा पोंडी	10.50	57.89
			योग	**88.26**	**772.87**
81	रायगढ़	रायगढ	रायगढ खरसिया रोड से कोसमपाली	5.50	37.88
82		पुसौर	माचिदा से त्रिभौना	4.00	26.66
83		धरमजयगढ़	टिमरलगा से हिच्छा	5.10	58.59
			योग	**14.60**	**123.13**

A.E.
Ajay Chaudhari

स. क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड	सड़क का नाम	लंबाई	मरम्मत हेतु आवश्यक राशि
84	राजनांदगांव	छुरिया	पांगरीकला से चिखलाकसा	18.00	160.99
85		डोंगरगांव	किरगी से रातापायली	3.00	21.04
86		छुरिया	एम.डी.आर. से धनगांव	5.55	45.50
87		छुरिया	रंगीटोला से हालेकोसा	4.20	42.04
88		छुरिया	एन.एच.–6 से रामपुर	4.50	44.23
89		छुरिया	एन.एच.–6 से तेलीनबांधा	4.00	38.13
90		छुरिया	छुरिया डोंगरगांव रोड से पदगुड़ा	2.43	24.13
91		खैरागढ़	डी.जे.के. रोड से शेरगढ़	3.09	28.29
92		खैरागढ़	डी.जे.के. रोड से बघमर्रा	4.77	53.33
93		खैरागढ़	एल–044 से भोथी	2.47	51.57
94		खैरागढ़	पदमावतीपुर से रगरा	4.10	32.10
95		खैरागढ़	टी 01 से भीमपुरी	4.29	75.07
96		चौकी	भंसुला से अटरागांव	2.75	34.18
97			बिहरीकला से छछानपारी	3.60	27.61
98			चिल्हाटी से मिरचे	3.80	29.36
			योग	**70.55**	**707.57**
99	सरगुजा	लुण्ड्रा	चिरंगा से सेमरडीह	4.50	42.88
100		लुण्ड्रा	पटोरा बरडीह से जमीरा	6.50	49.01
101		अम्बिकापुर	सांडबार से कोल्डीहा	10.62	69.32
102		अम्बिकापुर	अम्बिकापुर सूरजपुर रोड से केशवपुर	3.60	26.74
103		सूरजपुर	सूरजपुर भैयाथान रोड से नरेशपुर	4.00	21.44
104		सूरजपुर	एन.एच. 78 से से नयनपुर	2.47	27.49
105		सूरजपुर	कुंजनगर से जमदेई	13.00	93.72
106		सीतापुर	पी.डब्ल्यू.डी. मेन रोड से (जजगा) कटरापारा	3.44	31.10
107		सीतापुर	सोनतराई सुर से बखरीपारा	3.56	54.71
108		मेनपाट	सोनतराई से पीडिया	15.88	96.05
109		बतौली	मेनरोड से चिरंगा	2.76	20.45
110		बतौली	बिलासपुर रोड से बांसाझाल	8.34	56.19
111		वाड्रफनगर	कनवाही से गिरवानी खास	5.40	35.36
112		वाड्रफनगर	जनकपुर आसनडीह से कोरवापारा	4.00	26.47
113		प्रेमनगर	रघुनाथपुर कर्मीपारा से उमश्वरपुर मनीहारी डांड	20.00	109.12
114		रामानुजनगर	पतरापाली से साल्ही बड़कापारा	10.97	70.54
115		रामानुजनगर	भुवनेश्वरपुर से मदनेश्वरपुर	2.51	21.65
116		लखनपुर	हंसडाड़ से लटोरी दरीपारा	12.50	66.90

CA CARADA
Ajay Chaudhari

स. क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड	सड़क का नाम	लंबाई	मरम्मत हेतु आवश्यक राशि
117	सरगुजा	रामचंद्रपुर	वाड्रफनगर रामानुजगंज मेन रोड से सीताचुवां	2.78	25.63
118		रामचंद्रपुर	मितगई से परसाटोला	7.00	59.40
			योग	**143.83**	**1004.17**
			महायोग	**680.17**	**6315.03**

A.E. CARRADA
RC 9.
Ajay Chaudhari

Perspective Plan for Capacity Building for Disaster Response
13th Finance Commission 2010-15

1. Background

As mandated by the Disaster Management Act 2005, the State Government has established the C.G. State Disaster Management Authority (C.G.SDMA) and the Secretariat of the C.G.SDMA has become functional since 2009. The State has also framed its Disaster Management Policy and Disaster Management Plan for providing the basic framework for the Disaster Management operations in the State. All the 18 nos of districts had their District Disaster Management Authority notified. With the institutional structures in place, C.G. is now going ahead in achieving its vision to creates ' A State prepared' and build ' Safer Chhattisgrah' C.GSDMA has taken up several projects namely Flood Early Warning System , Hazard Risk and Vulnerability Analysis , Integration of Emergency Operation Centre Safety Audit of schools and hospitals in Raipur city, Revision of Relief Manual, incident Response System, etc. Further, in view of the changed structural- Functional arrangement of disaster management, Capacity building of personnel has assumed prime importance. The same was also brought out in a Training need Analysis carried out with all the stakeholders of Disaster Management and 8 numbers of training were identified in this analysis. Further, under the environmental dimensions of the TNA, , A number of non-training requirements were identified viz, The need for R&D, better equipped control rooms, inventory of utilities on GIS platform etc.

2. Objectives: The Perspective Plan 2010-15 has been prepared to

i. Make CGSDMA a knowledge based organization to mitigate disasters.

ii. Disaster-proofing of two prime sectors viz. Sectors viz. School & Hospitals.

iii. Build up an efficient response mechanism in the State.

iv. Equip and strengthen the State Disaster Response & information Centre , District Disaster Response & information Centre , and Tehsil level

vi . GIS mapping of utilities/ resouces.

vi. Create a more 'aware' public through extensive media campaign.

3. Required capacity including infrastructure of the State to effectively respond in the events of disasters

a) Equipped & Prepared Disaster Response& Information Centres: The Disaster Response& Information Centre at the state, District and Tehsil levels has an important role to play in any emergent situations. It is the nerve centre for Response& Coordination and will have to receive information and dissemination of the same to the appropriate quarters expeditiously. At the time of any disaster, it will serve as the incident Command Post for the response & Disaster Management operation in the State/District/Tehsil. These will therefore have to be strengthened with specialized equipments, efficient communication network, and relevant, intelligent and easily accessible database further, the district and Thsil level Response& Information Centres have to be made Functional 24x7x365.

b) Research & Development : While Stat- of - the art technologies available need to be made available for up - gradation of the Disaster Management system; at the same time, dedicated research activities if required in all areas for a continuous flow of high quality basic information for sound Disaster Management planning.

c) Capacity building, Training Education: involved in Disaster Management exercise have to draw upon knowledge of best practices and resources availavle to them. information and training on ways to better respond to and mitigate disasters to the responders go a long way in building the capacity and resilience of the State to reduce and prevent disasters. Training is an integral part of Capacity building as Trained personnel respond much better to different disaster and appreciate the need for preventive measures.

Further, the essential provision of integrating measures for prevention of disasters and mitigation in all development plans and projects now makes the strategic task of mainstreaming DM in development a statutory obligation. The personnel involved in performing this new, integrated Disaster Management function, there fore, not only need to respond effectively to disaster situations for rescue and relief now but also have to engage themselves context of changed structural- functional arrangement, the roles, tasks and activities of the different functionaries involved in DM has changed significantly, necessitating need based training interventions to ensure effective performance of concerned functionaries in the changed circumstances.

D) Training Institution : To undertake this mammoth task of training the different stakeholders, the existing training capacity in terms of the ATI or local colleges is not sufficient. Institutional training capacity has to be built and a dedicated institute of Disaster Management for the State is required to undertake the task of training all its stakeholders on a regular basis .

E) Disaster Management Plans : If we fail to plan, we plan to fail. the need is to have DM plan covering all aspects for each village, block, district and at state level.

F) Safer Schools& Safer Hospitals : One of the major challenges that face the government today is that majority of school children study in Unsafe Environments. Many schools in C.G. are found to be generally neglected, inappropriately located, poorly constructed and poorly maintained, Children, as we are all aware, are the most vulnerable section of the society and safety of school children is an emotive issue often having political implications. Therefore, it is felt that a culture of disaster risk reduction should be promoted in the schools through both structural and non structural safety.

Hospitals, are a community's lifeline in normal times and are especially critical in times of disaster. Yet time and again, they have been severely damaged or left unable to function in the aftermath of disasters. There fore, an effective response and functional health service following a disaster is one of the prime requirements.

it will therefore be the endeavour of the Government of C.G. to "disaster proof" both the school and hospitals in the next five years.

G) Awareness Generation: The focus towards preventive Disaster Management and development of an ethos of prevention calls for an awareness generation at all levels. A sustained campaign on the risks involved and measures to be adopted for overcoming the risk would perhaps go a long way in building up the resilience of the people towards disasters. further, focus on building the knowledge, attitude and skills of a community to cope with the effects of disasters are also required. A programme of periodic drill needs to be conducted in vulnerable areas to enable prompt and appropriate community response in the event of a disaster, which can help save valuable lives.

4. Existing Capacity including infrastructure of the state

A. **Institutional Machanism** : The necessary Institutional structure for implementing the various plans and programmes on Disaster Management exists in the State as the C.G. Disaster Management Authority is a fully functional body with its own secretariat headed by a Chief Executive Officer. At the district level also, CGSDMA has placed a District Project Officer to Assist the DDMA in its functioning.

B. Infrastructure: The State has a fully functional Secretariat of the SDMA. The State Disaster Response &

Information Centre (Control Room) is now operational 24x7x365 with dedicated staff to man the centre.
11 districts have a District Emergency Operation Centre built with Flood- resistant technology. is in the process of strengthening these EOCs by equipping them with it equipments. Further, space is being made available in the Tehsil Offices for setting up 149 Nos Tehsil Disaster Response& Information Centre on a pilot basis.

C) State Disaster Response Force : The constitution of the State Disaster Response force has been notified under the Directorate of Fire services which is being renamed as Fire and Emergency Services. The Creation of some 2750 posts has also been approved by finance Department .

D) Empanelled Training Institutes for capacity building : To undertake the task of training the different stakeholders in the 25 identified areas, as was brought out in a training needs Analysis, CGSDMA has through a competitive and elaborate process empanelled three institutes viz NIT raipur Govt. Engeeniring college raipur/bilaspur of institutions for undertaking these trainings.

5) Gaps in the existing Capacity vis-a vis required capacity

- Fully functional round the clock Control Rooms at all levels
- Equipments for Search & Rescue
- Well researched mitigation strategies
- Disaster type wise vulnerability Maps

- Bottom- up subdivision/District Plans
- Advanced Communication equipment and Alternative Communication System
- Department-wise Resource Database in GIS format
- Hospital-wise Casualty anticipation & Management plans
- School/College DM ; plans
- Lack of Safety audits for ensuring structural safety
- Village-Block/ Tehsil Disaster Volunteer Organization
- Community Awareness, Organization and rehearsals
- Dedicated training Institute
- No critical mass of trained teachers on risk management
- Knowledge on Earthquake Resistant Technology & Retrofitting techniques.
- Absence of Hospital Emergency plans for Mass casualty

6) Activities undertaken through this grant to bridge the gaps

A. **Research & Development**:

(i) Consultancies related to Disaster Risk Reduction
(ii) Hazard Vulnerability Risk Analysis
(iii) Development of a Communication Plan for failsafe Communication

B. **Equipped & Prepared Disaster Response and Information Centres**:

(i) Strengthening of Disaster REsponse and information Centres at State, District.

FORMAT-II

307

GRANT-IN-AID FOR CAPACITY BUILDING FOR DISASTER RESPOSNE

Annual Work plan for 2010-11& 2011-12 Finance & Physical

Name of the State : Chhattisgarh

Sl. No.	Item/area of activities	Amount (in Lakhs)	Physical achievement at the end of the year	Remarks
1	**Main Activity : Research & Development**	**200.00**		
	i) Flood Damage Mitigation measures for Mahanadi. Project study by ; NIT, Raipur or OLCGTU, Bhilai, CG	10.00	The First Phase The Project Will be Completed.	
	ii) Flood damage mitigation measures for Indravati/shabri. a project study by ; Ravishankar vishvavidhlay, raipur, GEC Raipur	10.00	The First Phase The Project Will be Completed.	
	iii) Consultancies ralated to Disaster Risk Reduction in the State.	25.00	The First Phase The Project Will be Completed.	
	iv) Hazard Risk Vulnerability Analysis (All District)	25.00	Non Special data collection will be initited.	
	v) Development of a Communication system for fail- safe communication	25.00	The First Phase The Project Will be Completed.	
	vi) Preparation of GIS maps	80.00	The First Phase The Project Will be Completed.	
	vii) Consultancies for setting up of effective decision support system	25.00	Non Special data collection will be initited.	
2	**Main Activity : Equipped & Prepared/Strengthening of Disaster Response and Information Centres**	**200.00**		
	i) Strengthening the State Disaster Response & Information Centres	30.00	18 District Disaster Response & Information Centres fully equipeed and operational 24x7x365	
	ii) Procurement of equipment for the State & District Disaster Response and Information Centre (EOC)	140.00	All tahsil level Disaster Response & Information Centres will be Operational.	
	iii) Setting up of an effective communication system for the State	10.00	Communication Plan will be under processs.	
	iv) Setting up of Disaster Response & Information Centrects	20.00		

302

24

3	**Main Activity** : Setting up of C.G. State Disaster Management Institute-Preparation of Detailed Project Report for setting up the Centre	**140.00**	Formulation of the State Disaster Management Institute Chhattisgarh.	
4	**Main Activity : Awarness Generation** i) Sensitisation meetings/ IEC meterials/ audio-visual/advertisement etc.	**20.00**	i) 10 rounds of Advertisements on dos and donts on Floods in newspapers and TV throughout the Flood season. Ii) 10 rounds of Advertise ments on Fire through print and audio visual media. iii) Production of radio jingle on Floods & Fire. iv) Production of audio visual Spots on Floods & Fire.	
5	**Main Activity :** Capacity Building, Training and Education including foregin training	**110.00**		
	i) School Safety : a) Preparation of School & College DM Plans, Mock drills once in a year	10.00	5000 teachers trained on School Safety 1000 School safety plan developed @ 500 school x 18 districts	
	ii) Disaster Preparedness of Hospitals a) Preparation of Mass casualty Management Plans for the Medical College Hospitals	10.00	100 doctors trained on Hospital Preparedness & Mass Casualty Management. 50 doctors trained on Trauma Management and 100 Paramedics trained on Mass	
	iii) Training on Earthquake Resistant Construction Techniques a) Training of Engineers/Architects on earthquake resistant tachniques b) Preparation of Demo kit for mason training by leading institute viz NIT Raipur & Goverment Engineering College Raipur & Bilaspur.	10.00	200 government engineers trained on Earthquake resistant technology. 200 Masons trained on Earthquake resistant technology & safe Construction Practices. 100 Architect from Government and Private Sector.	
	iv) Training on Urban and Rural Fire Safety Management a) Training of Fireman on Urban Fire b) Preparation of Demo kit for mason training by leading Bhilai Steel Plant Fire Service. c) Three days masons training on safe human life safety through State Fire Service with standard demo kits for 200 masons per year .	80.00	This State was desided to a New State Fire Service under the Director General of Home Guard. Preparedness State Fire Service Plan and active District Fire Service Plan. 500 Home Guard Jawan trained on Fire Fighting and Fire Management. Training given by Bhilai Steel Plant Bhilai Fire Service. Mock drill and workshop organization demo **Simulator** building for fire.	
6	**Main Activity :** **Preparation of Disaster Management Plan at District Level**	**40.00**	18 DDMP disaster management plan/18 FDDMP prepared and updated regularly.	
	i) Preparation DDMPs	40.00		

7	**Main Activity :** **<u>Community Based Disaster Preparedness</u>**	**40.00**		
	a) Training of Volunteers by Homagard/police training institute at Chandkhuri raipur C.G.	20.00	450 Volunteers training on search and rescue and first aid	
	b) Training of Volunteers on First Aid, Search & Rescue through Homegard	20.00		
8	**Main Activity : Workshops & Conferences**	**50.00**	1 Number of State lavel workshop will be conducted on the defence Hazard.	
	a) State Level workshop/conference on i) Flood & Fire	30.00		
	b) State Level workshop/conference on i) Drought Management	20.00		
	Grant Total	**800.00**		

305

FORMAT-II

GRANT-IN-AID FOR CAPACITY BUILDING FOR DISASTER RESPOSNE

Name of the State : Chhattisgarh

Annual Work plan for 2012-13: Finance & Physical

Si. No.	Item/area of activities	Amount (in Lakhs)	Physical achievement at the end of the year	Remarks
1	**Main Activity : Research & Development**	**75.00**		
	i) Consultancies ralated to Disaster Risk Reduction in the State.	25.00	The Second Phase The Project Will be Completed.	
	ii) Hazard Risk Vulnerability Analysis (All District)	25.00	The Second Phase The Project Will be Completed.	
	iii) Consultancies for setting up of effective decision support system	25.00	Non Special data collection will be initited.	
2	**Main Activity : Equipped & Prepared/Strengthening of Disaster Response and Information Centres**	**100.00**		
	i) Procurement of equipment for the State & District Disaster Response and Information Centre (EOC)	100.00	All tahsil level Disaster Response & Information Centres will be Operational.	
3	**Main Activity :** Setting up of C.G. State Disaster Management Institute-Preparation of Detailed Project Report for setting up the Centre	**65.00**	Formulation of the State Disaster Management Institute Chhattisgarh.	
4	**Main Activity : Awarness Generation** i) Sensitisation meetings/ IEC meterials/ audio-visual/advertisement etc.	**10.00**	i) 10 rounds of Advertisements on dos and donts on Floods in newspapers and TV throughout the Flood season. Ii) 10 rounds of Advertisements on Fire through print and audio visual media.	
5	**Main Activity :** Capacity Building, Training and Education including foreginb training	**85.00**		
	i) School Safety : a) Preparation of School & College DM Plans, Mock drills once in a year b) Safety Audit of Sc	20.00	5000 teachers trained on School Safety 1000 School safety plan developed @ 500 school x 18 districts	

(306)

	ii) Disaster Preparedness of Hospitals a) Preparation of Mass casualty Management Plans for the Medical College Hospitals b) Training of Doctors, Nurses, Paramedics, Med	20.00	100 doctors trained on Hospital Preparedness & Mass Casualty Management. 50 doctors trained on Trauma Management and 100 Paramedics trained on Mass Casualty handling. Safety audit of all 18 district hospitals and 3 Medical College hospitals.	
	iii) Training on Earthquake Resistant Construction Techniques a) Training of Engineers/Architects on earthquake resistant tachniques	20.00	200 government engineers trained on Earthquake resistant technology. 200 Masons trained on Earthquake resistant technology & safe Construction Practices. 100 Architect from Government and Private Sector.	
	iv) Training on Urban and Rural Fire Safety Management a) Training of Fireman on Urban Fire b) Preparation of Demo kit for mason training by leading Bhilai Steel Plant Fire Service.	25.00	This State was desided to a New State Fire Service under the Director General of Home Guard. Preparedness State Fire Service Plan and active District Fire Service Plan. 500 Home Guard Jawan trained on Fire Fighting and Fire Management. Training given by Bhilai Steel Plant Bhilai Fire Service. Mock drill and workshop organization demo **Simulator** building for fire.	
6	**Main Activity : Preparation of Disaster Management Plan at District Level**	**20.00**	18 DDMP disaster management plan prepared and updated regularly.	
	i) Preparation DDMPs			
7	**Main Activity :**			
	Community Based Disaster Preparedness	**20.00**		
	a) Training of Volunteers by Homagard/police training institute at Chandkhuri raipur C.G.	10.00	450 Volunteers training on search and rescue and first aid	
	b) Training of Volunteers on First Aid, Search & Rescue through Homegard	10.00		
8	**Main Activity : Workshops & Conferences**	**25.00**	1 Number of State lavel workshop will be conducted on the defence Hazard.	
	a) State Level workshop/conference on i) Flood & Fire	15.00		
	b) State Level Workshop/conference on i) Drough Management	10.00		
	Total	**400.00**		

307

FORMAT-II

GRANT-IN-AID FOR CAPACITY BUILDING FOR DISASTER RESPOSNE

Annual Work plan for 2013-14: Finance & Physical

Name of the State : Chhattisgarh

Si. No.	Item/area of activities	Amount (in Lakhs)	Physical achievement at the end of the year	Remarks
1	**Main Activity : Research & Development**	**75.00**		
	1) Hazard Risk Vulnerability Analysis (All District)	75.00	The Project Will be Completed.	
2	**Main Activity : Equipped & Prepared/Strengthening of Disaster Response and Information Centres**	**50.00**		
	iii) Setting up of an effective communication system for the State	50.00	All tahsil level Disaster Response & Information Centres will be Operational.	
3	**Main Activity :** Setting up of C.G. State Disaster Management Institute-Preparation of Detailed Project Report for setting up the Centre	**75.00**	Formulation of the State Disaster Management Institute Chhattisgarh.	
4	**Main Activity : Awarness Generation** i) Sensitisation meetings/ IEC meterials/ audio-visual/advertisement etc.	**10.00**	i) 10 rounds of Advertisements on dos and donts on Floods in newspapers and TV throughout the Flood season. Ii) 10 rounds of Advertisements on Fire through print and audio visual media.	
5	**Main Activity :** Capacity Building, Training and Education including foregin training	**125.00**		
	i) School Safety : a) Preparation of School & College DM Plans, Mock drills once in a year b) Safety Audit of Sc	20.00	5000 teachers trained on School Safety 1000 School safety plan developed @ 500 school x 18 districts	
	ii) Disaster Preparedness of Hospitals a) Preparation of Mass casualty Management Plans for the Medical College Hospitals b) Training of Doctors, Nurses, Paramedics, Med	20.00	100 doctors trained on Hospital Preparedness & Mass Casualty Management. 50 doctors trained on Trauma Management and 100 Paramedics trained on Mass Casualty handling. Safety audit of all 18 district hospitals and 3 Medical College hospitals.	

	iii) Training on Earthquake Resistant Construction Techniques a) Training of Engineers/Architects on earthquake resistant techniques	20.00	200 government engineers trained on Earthquake resistant technology. 200 Masons trained on Earthquake resistant technology & safe Construction Practices. 100 Architect from Government and Private Sector.	
	iv) Training on Urban and Rural Fire Safety Management a) Training of Fireman on Urban Fire b) Preparation of Demo kit for mason training by leading Bhilai Steel Plant Fire Service.	65.00	This State was desided to a New State Fire Service under the Director General of Home Guard. Preparedness State Fire Service Plan and active District Fire Service Plan. 500 Home Guard Jawan trained on Fire Fighting and Fire Management. Training given by Bhilai Steel Plant Bhilai Fire Service. Mock drill and workshop organization demo **Simulator** building for fire.	
6	**Main Activity : Preparation of Disaster Management Plan at District Level**	**20.00**	18 DDMP disaster management plan prepared and updated regularly.	
	i) Preparation DDMPs			
7	**Main Activity :** **Community Based Disaster Preparedness**	**20.00**		
	a) Training of Volunteers by Humagard/police training institute at Chandkhuri raipur C.G.	10.00	450 Volunteers training on search and rescue and first aid	
	b) Training of Volunteers on First Aid, Search & Rescue through Homegard	10.00		
8	**Main Activity : Workshops & Conferences**	**25.00**	1 Number of State lavel workshop will be conducted on the defence Hazard.	
	a) State Level workshop/conference on i) Flood & Fire	15.00		
	b) State Level Workshop/conference on i) Drough Management	10.00		
	Total	**400.00**		

FORMAT-II

GRANT-IN-AID FOR CAPACITY BUILDING FOR DISASTER RESPOSNE

Annual Work plan for 2014-15: Finance & Physical

Name of the State : Chhattisgarh

Si. No.	Item/area of activities	Amount (in Lakhs)	Physical achievement at the end of the year	Remarks
1	**Main Activity : Research & Development**	**75.00**		
	i) Consultancies ralated to Disaster Risk Reduction in the State.			
	ii) Preparation of GIS maps	25.00	The Project Will be Completed.	
	iii) Consultancies for setting up of effective decision support system	25.00	The Project Will be Completed.	
		25.00	The Project Will be Completed.	
2	**Main Activity : Equipped & Prepared/Strengthening of Disaster Response and Information Centres**	**50.00**		
	iii) Setting up of an effective communication system for the State	50.00	All tahsil level Disaster Response & Information Centres will be Operational.	
3	**Main Activity :** Setting up of C.G. State Disaster Management Institute-Preparation of Detailed Project Report for setting up the Centre	**75.00**	Formulation of the State Disaster Management Institute Chhattisgarh.	
4	**Main Activity : Awarness Generation** i) Sensitisation meetings/ IEC meterials/ audio-visual/advertisement etc.	**10.00**	i) 10 rounds of Advertisements on dos and donts on Floods in newspapers and TV throughout the Flood season. Ii) 10 rounds of Advertisements on Fire through print and audio visual media.	
5	**Main Activity :** Capacity Building, Training and Education including foregin training	**125.00**		
	i) School Safety : a) Preparation of School & College DM Plans, Mock drills once in a year b) Safety Audit of Sc	20.00	5000 teachers trained on School Safety 1000 School safety plan developed @ 500 school x 18 districts	

310

	ii) Disaster Preparedness of Hospitals a) Preparation of Mass casualty Management Plans for the Medical College Hospitals b) Training of Doctors, Nurses, Paramedics, Med	20.00	100 doctors trained on Hospital Preparedness & Mass Casualty Management. 50 doctors trained on Trauma Management and 100 Paramedics trained on Mass Casualty handling. Safety audit of all 18 district hospitals and 3 Medical College hospitals.	
	iii) Training on Earthquake Resistant Construction Techniques a) Training of Engineers/Architects on earthquake resistant tachniques	20.00	200 government engineers trained on Earthquake resistant technology. 200 Masons trained on Earthquake resistant technology & safe Construction Practices. 100 Architect from Government and Private Sector.	
	iv) Training on Urban and Rural Fire Safety Management a) Training of Fireman on Urban Fire b) Preparation of Demo kit for mason training by leading Bhilai Steel Plant Fire Service.	65.00	This State was desided to a New State Fire Service under the Director General of Home Guard. Preparedness State Fire Service Plan and active District Fire Service Plan. 500 Home Guard Jawan trained on Fire Fighting and Fire Management. Training given by Bhilai Steel Plant Bhilai Fire Service. Mock drill and workshop organization demo **Simulator** building for fire.	
6	**Main Activity : Preparation of Disaster Management Plan at District Level**	**20.00**	18 DDMP disaster management plan prepared and updated regularly.	
	i) Preparation DDMPs			
7	**Main Activity :** **Community Based Disaster Preparedness**	**20.00**		
	a) Training of Volunteers by Homagard/police training institute at Chandkhuri raipur C.G.	10.00	450 Volunteers training on search and rescue and first aid	
	b) Training of Volunteers on First Aid, Search & Rescue through Homegard	10.00		
8	**Main Activity : Workshops & Conferences**	**25.00**	1 Number of State lavel workshop will be conducted on the defence Hazard.	
	a) State Level workshop/conference on i) Flood & Fire	15.00		
	b) State Level Workshop/conference on i) Drough Management	10.00		
	Total	**400.00**		

FORMAT-I

GRANT-IN-AID FOR CAPACITY BUILDING FOR DISASTER RESPOSNE UNDER 13TH FINANCE COMMISSION

Perspective Plan for 2010-15 : Finance and Physical

Name of the State : Chhattisgarh

Si. No.	Item/area of activities	Amount (in Lakhs) 2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	Total	Physical achievement at the end of 5/4 year: Capacity raising of persons/people/Infrastructure/ institutionalize of Disaster Management for enhancing response capacity	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Main Activity : Research & Development**	**100.00**	**100.00**	**75.00**	**75.00**	**75.00**	**425.00**	4 Number of Hazard Risk Vulnerability Analysis will by Completed in raipur, Mahasamund, Janjgir-Champa. Raigarh & initiated in 18 others District	
	i) Flood Damage Mitigation measures for Mahanadi. Project study by ; NIT, Raipur or OLCGTU, Bhilai, CG	√						3 Number of Hazard Risk Vulnerability Analysis will by Completed in Jagdalpur city, Dantewada & Bijapur.	
	ii) Flood damage mitigation measures for Indravati/shabri. a project study by ; Ravishankar vishvavidhlay, raipur, GEC Raipur	√							
	iii) Consultancies ralated to Disaster Risk Reduction in the State.		√	√		√		Measures Mitigation Flood in Mahanadi vasing will by identified and Action Plan will by taken up.	
	iv) Hazard Risk Vulnerability Analysis (All District)		√	√	√				
	v) Development of a Communication system for fail-safe communication		√						
	vi) Preparation of GIS maps	√				√			
	vii) Consultancies for setting up of effective decision support system		√	√		√		A Risk Map all the School & Hospital in the Raipur city will by develop and retrofitting solutions for the risk will be identified.	
2	**Main Activity : Equipped & Prepared/Strengthening of Disaster Response and Information Centres**	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	400.00		
	i) Strengthening the State Disaster Response & Information Centres	30.00					30.00	18 District Disaster Response & Information Centres fully equipeed and operational 24x7x365	
	ii) Procurement of equipment for the State & District Disaster Response and Information Centre (EOC)	40.00	90.00	100.00			230.00	All tahsil level Disaster Response & Information Centres will be Operational.	
	iii) Setting up of an effective communication system for the State	10.00	10.00		50.00	50.00	120.00	Communication Plan will be under proccess.	
	iv) Setting up of Disaster Response & Information Centrects	20.00							

36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**Main Activity** : Setting up of Chhattisgarh Disaster Management Institute of Disaster Management-Preparation of Detailed Project Report for setting up the Centre	75.00	65.00	65.00	75.00	75.00	355.00	All ready disaster management cell setup chhattisgarh academy of administration raipur. CapacityBuilding/Training & Infrastructural development requirement for CGDMTI, CGAA, DDMA (Special Training measures, Dev. Wrt Rs/GISlab (Hardware, Software); Awareness Campeign/Documentation & Printing of DM History of Chhattisgarh State/District, DM Exhibition; Library; FOC; AWS; NDKN/NDFM-DSC-NRSC-Portal,Simulator & other equipments VSAT; Video conferencing Mock, drilli/Qrganization of DM Fair; interior for classroom/Conference Hal; Procurement of quick response vehicle for reaching Hazard/Disaster Prone areas go seater Bus for taking trainees to field area/District for ground truth data collection etc. or visit to disaster prone areas and perfoming HRV Assessment Setting-up EWS.	
4	**Main Activity : Awarness Generation** i) Sensitisation meetings/ IEC meterials/ audio-visual/advertisement etc.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	Create a more aware populace through extensive media capaign by electronic & print media	
5	**Main Activity** : Capacity Building, Training and Education including forgin training	50.00	60.00	85.00	125.00	125.00	445.00		
	i) Capacity building on preparation of DDMPs, ToT for Mason's Training, ToT on Emergency Health Management, School safety etc.							Preparation of DDMPs for all 18 districts of Chhattisgarh	
	ii) School Safety : a) Preparation of School & College DM Plans, Mock drills once in a year b) Safety Audit of School c) Training of teachers on school safety.		10.00	20.00	20.00	20.00	70.00	5000 teachers trained on School Safety 1000 School safety plan developed @ 500 school x 18 districts	
	iii) Disaster Preparedness of Hospitals a) Preparation of Mass casualty Management Plans for the Medical College Hospitals b) Training of Doctors, Nurses, Paramedics, Medical Technicians c) Safety Audit of Hospitals (Medical Colleges and Civil Hospitals)		10.00	20.00	20.00	20.00	70.00	100 doctors trained on Hospital Preparedness & Mass Casualty Management. 50 doctors trained on Trauma Management and 100 Paramedics trained on Mass Casualty handling. Safety audit of all 18 district hospitals and 3 Medical College hospitals.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	iv) Training on Earthquake Resistant Construction Techniques a) Training of Engineers/Architects on earthquake resistant tachniques b) Preparation of Demo kit for mason training by leading institute viz NIT Raipur & Goverment Engineering College Raipur & Bilaspur. c) Three days masons training on safe construction practices through Engineering college with standard demo kits for 200 masons per year per Engineering College.		10.00	20.00	20.00	20.00	70.00	200 government engineers trained on Earthquake resistant technology. 200 Masons trained on Earthquake resistant technology & safe Construction Practices. 100 Architect from Government and Private Sector.	
	v) Training on Urban and Rural Fire Safety Management including foregin training a) Training of Fireman on Urban Fire b) Preparation of Demo kit for mason training by leading Bhilai Steel Plant Fire Service. c) Three days masons training on safe human life safety through State Fire Service with standard demo kits for 200 masons per year .	50.00	30.00	25.00	65.00	65.00	235.00	This State was desided to a New State Fire Service under the Director General of Home Guard. Preparedness State Fire Service Plan and active District Fire Service Plan. 500 Home Guard Jawan trained on Fire Fighting and Fire Management. Training given by Bhilai Steel Plant Bhilai Fire Service. Mock drill and workshop organization demo **Simulator** building for fire.	
6	**Main Activity :** **Preparation of Disaster Management Plan at District Level**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**100.00**	18 DDMP and 18 flood disaster management plan prepared and updated regularly.	
	i) Preparation DDMPs								
7	**Main Activity :** **Community Based Disaster Preparedness**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**100.00**		
	a) Training of Volunteers by Homagard/police training institute at Chandkhuri raipur C.G.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	1800 Volunteers training on search and rescue and first aid	
	b) Training of Volunteers on First Aid, Search & Rescue through Homegard	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00		
8	**Main Activity : Workshops & Conferences**	**25.00**	**25.00**	**25.00**	**25.00**	**25.00**	**125.00**		
	a) State Level workshop/conference on i) Flood & Fire	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	75.00	5 Number of State lavel workshop will be conducted on the defence Hazard.	
	b) State Level Workshop/conference on i) Drough Management	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00		
	Total	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**2000.00**		

(315) परिशिष्ट 07

आज दिनांक 4.11.2011 को महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी रायपुर की अध्यक्षता में 13वें वित्त आयोग द्वारा प्राप्त 28 करोड़ रूपये का 4 चरणों में व्यय किये जाने के चरणबद्ध वर्षवार किये जाने वाले कार्य के प्रस्ताव को संशोधित करने के लिए लोक निर्माण विभाग के श्री डी.के.सहगल उप सचिव, श्री एस.के.शर्मा अधीक्षण अभियंता (सिविल), श्री रात्र (विद्युत एवं यांत्रिकीय), श्री पड़ेगांवकर कार्यपालन अभियंता, (सिविल), श्री भूपल कार्यपालन अभियन्ता (विद्युत यांत्रिकी) से चर्चा आयोजित कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

<u>प्रथम चरण वर्ष 2011-12 में प्रस्तावित कार्य</u>

1. आवासीय क्वार्टर निर्माण करना एफ टाइप-1 नग, जी टाइप-2 नग, एच टाइप-4 नग, आई टाइप-6 नग	- रूपये 1,30,00,000
2. मुख्य द्वार का निर्माण	- रूपये 15,00,000
3. पानी टंकी का निर्माण	- रूपये 60,00,000
4. वाह्य विद्युत केन्द्र का निर्माण	- रूपये 1,00,00,000
5. वातानुकूलित मशीनों की व्यवस्था प्रोजेक्टर स्क्रीन, साऊंड सिस्टम (100 सीटर), तड़ित चालक की व्यवस्था	- रूपये 1,00,00,000
6. फायर फाईटर	- रूपये 35,00,000
7. अपंग व्यक्तियों के लिए प्रशासनिक ब्लाक एवं छात्रावासों में रैम्प एवं वाशरूम की व्यवस्था	- रूपये 5,00,000
8. छात्रावास में फर्नीचर की व्यवस्था	- रूपये 81,00,000
9. प्रशासनिक भवन में फर्नीचर की व्यवस्था	- रूपये 1,02,00,000
10. छात्रावास भवन की खिड़की में एल्यूमिनियम ग्रिल, मच्छरदानी की व्यवस्था	- रूपये 5,00,000
11. बेसमेट में 8 कर्मचारियों के लिए पार्टीशन कराया जाय	- रूपये 10,00,000
12. रैन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाय	- रूपये 24,50,000
13. केड़ा को भुगतान किया जाना है	- रूपये 32,50,000
14. CPM (क्रिटिकल पाथ मेथड) तैयार किया जाय	
15. सोलर वाटर हीटर एवं स्ट्रीट लाईट हेतु केड़ा को प्राकलन तैयार करने पत्र लिखा जाय	
16. वृक्षारोपण कार्य वन विभाग के सौजन्य से सम्पन्न करवाया जाय (नि:शुल्क)	
	कुल योग - रूपये 7,00,00,000

द्वितीय चरण वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित कार्य

1. आवासीय क्वार्टर -		
एच-टाईप 01 - 8 यूनिट	- रूपये	78,64,000
जी-टाईप -10 यूनिट	- रूपये	1,11,28,000
एफ-टाईप 01 - 5 यूनिट	- रूपये	1,16,38,000
आई-टाईप 06 नग	- रूपये	22,50,000
2. वाहन शेड निर्माण	- रूपये	8,48,000
3. ड्रेन एण्ड रोड आवासीय भवन तक	- रूपये	1,50,00,000
4. मुख्य भवन एवं आवासीय भवन के मध्य बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य	- रूपये	1,13,20,000
5. छात्रावास किचन का विस्तार	- रूपये	10,00,000
6. नरेगा एवं स्कूल के बच्चों, विद्यार्थियों के सहयोग से में लैण्ड स्केपिंग एवं वृक्षारोपण कार्य		
7. फर्नीचर व्यवस्था	- रूपये	89,52,000
कुल योग	**- रूपये**	**7,00,00,000**

तृतीय चरण वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित कार्य

1. लोक निर्माण विभाग द्वारा आवासीय क्वार्टर हेतु		
सी-टाईप 02 ब्लाक-02 यूनिट	- रूपये	1,40,43,000
डी-टाईप 02 ब्लाक-02 यूनिट	- रूपये	82,49,000
ई-टाईप 01 ब्लाक-04 यूनिट	- रूपये	1,40,43,000
2. स्ट्रीट लाईट व्यवस्था एवं वातानुकूलित मशीनों की व्यवस्था	- रूपये	1,00,00,000
3. विभिन्न पहुंच मार्गो का निर्माण	- रूपये	1,36,65,000
4. फर्नीचर व्यवस्था	- रूपये	1,00,00,000
कुल योग	**- रूपये**	**7,00,00,000**

चतुर्थ चरण वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित कार्य

1. लोक निर्माण विभाग द्वारा आवासीय क्वार्टर हेतु बी-टाईप 02 ब्लाक-02 यूनिट	- रूपये	2,00,00,000
2. वृक्षारोपण रखरखाव	- रूपये	50,00,000
3. सेटेलाईट बिल्डिंग कार्य	- रूपये	1,00,00,000

(316)

4. मुख्य भवन एवं छात्रावास के चारों ओर वाकिंग ट्रैक, खेल मैदान का निर्माण - रूपये 1,86,65,000
5. वाह्य एवं आंतरिक विद्युत व्यवस्था - रूपये 1,63,35,000

कुल योग - रूपये 7,00,00,000

<u>महानिदेशक द्वारा अनुमोदित</u>

Annexure-III

District wise Proposed Physical & Financial Outlay

No	District	Number of Sanctioned AWCs	Number of Sanctioned AWCs Buildings	Number of completed AWC Buildings	Number of AWCs without Sanction for Buildings	Proposed Buildings Under 13th Fin Commission for year 2011-12	Proposed Financial Outlay (lakh Rs)
1	Bastar	3294	1765	1435	1529	63	283.50
2	Bilaspur	3681	1826	1322	1855	70	315.00
3	Bijapur	1108	484	267	624	27	121.50
4	Dhamtari	1007	958	776	49	8	36.00
5	Dantewada	1908	1022	790	886	53	238.50
6	Durg	3899	2433	1398	1466	83	373.50
7	Janjgir	1979	1602	672	377	43	193.50
8	Jashpur	2946	2152	1621	794	32	144.00
9	Kanker	1870	1282	890	588	24	108.00
10	Kavardha	1578	1247	603	331	21	94.50
11	Korba	2265	1606	1360	659	23	103.50
12	Korea	1357	900	707	457	31	139.50
13	Mahasamund	1530	1351	972	179	28	126.00
14	Narayanpur	372	204	142	168	7	31.50
15	Raigarh	2680	1747	1267	933	35	157.50
16	Raipur	4672	2586	1604	2086	117	526.50
17	Rajnandgaon	2463	1645	1111	818	25	112.50
18	Sarguja	5154	2862	1501	2292	143	643.50
	Total	43763	27672	18438	16091	833	3748.50

- **Total Proposed buildings-833.**
- **Requirement of Budget -3748.50 lakh.**

commissioner
Women & Child Development
Raipur(Chhattisgarh)

वित्त विभाग

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार
गठित
उच्च स्तरीय समिति की बैठक
दिनांक 12.05.2011

Capacity Bldg. fund ?

(1)

एजेंडा बिन्दु

बिन्दु क्रमांक 1 – तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदानों की समीक्षा हेतु गठित समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 12.01.2011 को आयोजित की गई थी । बैठक का कार्यवृत्त सभी विभागों को 02.02.2011 को जारी किया गया । बैठक का कार्यवृत्त तथा विभागों द्वारा की गई कार्यवाही परिशिष्ट – 1 पर है ।

बिन्दु क्रमांक 2 – वर्ष 2010–11 में विभिन्न विभागों को विमुक्त राशि एवं उसके विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति परिशिष्ट – 2 पर संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक 3 – विभिन्न विभागों से प्राप्त कार्ययोजना पर समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है । विभागों से प्राप्त कार्ययोजना पर वित्त विभाग की टीप परिशिष्ट – 3 पर है । जिन विभागों से कार्ययोजना प्राप्त हुई है, वें इस प्रकार है –

1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
   (अ) पंचायत स्थानीय निकायों को अनुदान (परिशिष्ट – 4)
   (ब) सड़क एवं पुल मरम्मत अनुदान (परिशिष्ट – 5)
2. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
   (स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण (परिशिष्ट – 6)
3. वन विभाग(परिशिष्ट – 7)
4. योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी (सांख्यिकी प्रणाली का उन्नयन) (परिशिष्ट – 8)
5. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (परिशिष्ट – 9)

जिन विभागों से कार्ययोजना अप्राप्त है वो निम्नानुसार है –

सामान्य प्रशाासन विभाग (जिला नवाचार निधि एवं प्रशासन अकादमी का निर्माण)
2. राजस्व विभाग (क्षमता निर्माण)
3. संस्कृति विभाग (पुरातत्व संरक्षण)
4. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (यू.आई.डी.)

समिति की बैठक दिनांक 12.01.2011 द्वारा निम्न विभागों के वर्ष 2011–12 संबंधी कार्ययोजना का अनुमोदन किया जा चुका है –

1. आंगनबाड़ी केन्द्रोंका निर्माण (महिला एवं बाल विकास विभाग)
2. पुलिस प्रशिक्षण (गृह विभाग)
3. पुलिस कर्मियों हेतु आवास निर्माण (गृह विभाग)
4. जेल अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण (जेल विभाग)
5. नयी राजधानी का विकास (आवास एवं पर्यावरण विभाग)

परिशिष्ट – 1

गत बैठक का कार्यवृत्त तथा विभागों द्वारा की गई कार्यवाही

परिशिष्ट-1

तेरहवें वित्त आयोग अनुशंसा अनुदान हेतु दिनांक 12/01/2011 को आयोजित राज्य उच्च अधिकार समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 12 जनवरी, 2011 को राज्य उच्च अधिकार समिति की द्वितीय बैठक प्रभारी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है। बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

(1) वन संरक्षण -

वर्ष 2010-11 के लिये विभाग को प्राप्त राशि ₹ 51.39 करोड़ हेतु प्रस्तुत की गई विभागीय कार्ययोजना का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसमें वाहन क्रय हेतु प्रावधानित राशि ₹ 140.00 लाख को अमान्य किया गया तथा इस राशि को बिगड़े वनों के पुर्नोद्धार एवं पुर्ननिर्माण मद में व्यय करने के निर्देश विभाग को दिये गये ।

अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार निम्नांकित मदों में राशि व्यय की जावेगी :-

(राशि ₹ लाख में)

1.	नक्सली प्रभावित क्षेत्रों मे फारेस्ट पोस्ट का निर्माण	1200.00
2.	महत्वपूर्ण कार्यालयों में जनरेटरों की स्थापना	160.00
3.	सामुदायिक संगठन एवं क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण	70.00
4.	ग्रामीण अधोसंरचना का उन्नयन एवं वन ग्रामों का विकास	600.00
5.	गरीबी उन्मूलन एवं आय वृद्धि संबंधी गतिविधियां	500.00
6.	वन सड़कों का उन्नयन	1119.00
7.	बिगड़े वनों का पुनरूद्धार एवं पुर्ननिर्माण	1140.00
8.	सर्वेक्षण एवं कार्ययोजना का निर्माण	
9.	पौधारोपण	350.00
10.	बिगड़े बांस वनों का पुर्ननिर्माण	
11.	शोधन केन्द्रों की स्थापना/शेड कार्य	
	योग	5139.00

(कार्यवाही वन विभाग)

(2) यू.आई.डी./स्वास्थ्य संरचना का सुदृढ़ीकरण/क्षमता निर्माण/पुरातत्व संरक्षण/जिला नवाचार निधि एवं प्रशासन अकादमी का निर्माण -

प्रभारी मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि भारत शासन से प्राप्त दिशा-निर्देश अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जाकर एक सप्ताह के अंदर प्रस्ताव वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जावे ।

(कार्यवाही खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/संस्कृति/सामान्य प्रशासन विभाग)

(3) सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार-

प्रभारी मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि भारत सरकार से अप्राप्त दिशा निर्देश को प्राप्त करने हेतु विभाग आवश्यक कार्यवाही करें ।

(कार्यवाही योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)

(4) नगरीय निकायों को अनुदान-

वर्ष 2010-11 हेतु राशि ₹ 43.05 करोड़ के विभागीय कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया, जिसके मुख्य मदे निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ में)

1.	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	10.85
2.	स्ट्राम वाटर ड्रेन	14.20
3.	जल प्रदाय	8.62
4.	सेनीटेशन एवं सीवरेज	3.88
5.	डाटा सेंटर की स्थापना	5.50
	योग	43.05

प्रभारी मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्ष 2011-12 से प्राप्त होने वाले सामान्य निष्पादन अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान हेतु निहित 09 शर्तों पर विभाग 31 मार्च, 2011 के पूर्व पूर्ण कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा की गयी कार्यवाही के संबंध में भारत सरकार को अवगत करावे । नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा लोकायोग अधिनियम, 2002 में सु-शासन को शामिल करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित प्रस्ताव पर शीघ्र परीक्षण करने के निर्देश प्रभारी मुख्य सचिव द्वारा दिये गये ।

(कार्यवाही नगरीय प्रशासन एवं विकास/सामान्य प्रशासन विभाग)

(5) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान-

वर्ष 2010-11 हेतु राशि ₹ 172.44 करोड़ के विभागीय कार्ययोजना का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया, जिसकी मुख्य मदें निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ में)

1.	स्वास्थ्य	60.36
2.	पेयजल	25.89
3.	शिक्षा	17.25
4.	पोषण	8.60
5.	विकास कार्य एवं अधोसंरचना निर्माण कार्य	43.12
6.	समाज कल्याण	3.46
7.	सौर ऊर्जा / विद्युत ऊर्जा	5.16
8.	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट	8.60
	योग	172.44

समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान को 70:20:10 में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत को वितरित किये जाने का अनुमोदन किया गया । प्रभारी मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्ष 2011-12 से प्राप्त होने वाले सामान्य निष्पादन अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान हेतु निहित 09 शर्तों पर विभाग 31 मार्च, 2011 के पूर्व पूर्ण कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा की गयी कार्यवाही के संबंध में भारत सरकार को अवगत करावें ।

(कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

(6) नया रायपुर का विकास -

वर्ष 2011-12 हेतु राशि ₹ 137.50 करोड़ के विभागीय कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया, जिसमें व्यय की जाने वाली राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

1. इकोफ्रेन्डली विकास परियोजना - 49.80 करोड़
2. शासकीय आवासों तथा आफिस कांप्लेक्स राज्य स्तरीय कार्यालयों हेतु - 87.70 करोड़

(कार्यवाही आवास एवं पर्यावरण विभाग)

(7) सड़क/पुल के रख-रखाव-

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्ष 2011-12 में प्राप्त होने वाले अनुदान राशि ₹ 69.00 करोड़ की शत-प्रतिशत राशि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के संधारण में किया जावे । इस हेतु कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत किया जावे ।

(कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

(8) आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण -

वर्ष 2011-12 हेतु राशि ₹ 37.50 करोड़ के विभागीय कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के 1250 आंगनबाड़ी भवनों को 3.00 लाख प्रति भवन की दर से निर्माण करवाया जावेगा ।

(कार्यवाही महिला एवं बाल विकास विभाग)

(9) पुलिस प्रशिक्षण -

वर्ष 2011-12 हेतु राशि ₹ 10.50 करोड़ के विभागीय कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया, जिसमें पुलिस अकादमी, चंदखुरी हेतु ₹ 6.30 करोड़ एवं जंगलवार फेयर कालेज, कांकेर हेतु राशि ₹ 4.20 करोड़ के व्यय की कार्ययोजना है ।

(कार्यवाही गृह विभाग)

(10) पुलिस आवासीय भवनों का निर्माण -

समिति द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु राशि ₹ 62.50 करोड़ की विभागीय कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया जिसके अंतर्गत अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों हेतु 100 आवास एवं कांस्टेबल तथा हेड कांस्टेबल हेतु 550 आवासों का निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(कार्यवाही गृह विभाग)

(11) कारागार अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण -

समिति द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु ₹ 37.50 करोड़ के विभागीय कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया, जिसके अंतर्गत 07 जेलों क्रमशः जशपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, रामानुजगंज, सूरजपुर, डोंगरगढ़ में 20 बंदी क्षमता की 17 बैरकों का निर्माण, 04 जेलों क्रमशः दंतेवाड़ा, कांकेर, जशपुर, सूरजपुर में आर.सी.सी.डबलवाल का निर्माण, केन्द्रीय जेल रायपुर में मल्टीस्टोरी कांप्लेक्स (152 नग क्वाटर्स) का निर्माण, 07 जेलों क्रमशः राजनांदगांव, संजरीबालौद, डोंगरगढ़, गरियाबंद, रामानुजगंज, कांकेर, दंतेवाड़ा में बाउंड्रीवाल की ऊंचाई बढ़ाने संबंधी कार्य करवाया जाना प्रस्तावित किया गया है ।

(कार्यवाही जेल विभाग)

बैठक में राजस्व विभाग से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ ।

प्रभारी मुख्य सचिव द्वारा समिति के सभी सदस्यों को वर्ष 2010-11में प्राप्त राशि का शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजकर भारत सरकार से प्राप्त होने वाली शेष राशि को प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया । साथ ही वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के अनुमोदित सभी कार्यो की यथा आवश्यक प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये ताकि राशि का शीघ्र का उपयोग किया जा सके ।

अंत में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई ।

(अल्पना घोष)
सदस्य सचिव

दिनांक 12 जनवरी, 2011 को बैठक में लिये गये निर्णय तथा उन पर की गई कार्यवाही

विभागवार निर्णय के बिन्दु	विभागों द्वारा की गई कार्यवाही
1. <u>वन विभाग–</u> विभागीय कार्य योजना का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया ।	विभाग द्वारा व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है ।
2. <u>यू.आई.डी./स्वास्थ्य संरचना का सुदृढीकरण/क्षमता निर्माण/पुरातत्व संरक्षण/जिला नवाचार निधि एवं प्रशासन अकादमी का निर्माण–</u> भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जाकर वित्त विभाग को प्रस्ताव एक सप्ताह अंदर उपलब्ध कराया जावें ।	स्वास्थ्य विभाग से कार्ययोजना प्राप्त । सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व, संस्कृति, खाद्य से कार्ययोजना अप्राप्त ।
3. <u>सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार–</u> भारत सरकार से अप्राप्त दिशा निर्देश को प्राप्त करने हेतु विभाग आवश्यक कार्यवाही करे ।	कार्ययोजना समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
4. <u>नगरीय निकायों को अनुदान–</u> वर्ष 2011-12 से प्राप्त होने वाले सामान्य निष्पादन अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान हेतु निहित 09 शर्तों पर विभाग 31 मार्च, 2011 के पूर्व पूर्ण कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा की गयी कार्यवाही के संबंध में भारत सरकार को अवगत करावे । नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा लोकायोग अधिनियम, 2002 में सु-शासन को शामिल करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित प्रस्ताव पर शीघ्र परीक्षण करने के निर्देश.	<u>लोकायोग</u> अधिनियम, 2002 में सु-शासन को शामिल करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित प्रस्ताव पर की गई कार्यवाही की जानकारी अप्राप्त ।
5. <u>पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान –</u> वर्ष 2011-12 से प्राप्त होने वाले सामान्य निष्पादन अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान हेतु निहित 09 शर्तों पर विभाग 31 मार्च, 2011 के पूर्व पूर्ण कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा की गयी कार्यवाही के संबंध में भारत सरकार को अवगत करावे ।	यथास्थिति से वित्त विभाग के पत्र दिनांक 31.03.2011 द्वारा भारत सरकार को अवगत करा दिया गया है ।

6. नया रायपुर का विकास – कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया ।	–
7 सड़क/पुल के रख-रखाव- कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत किया जावे ।	कार्ययोजना समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।
8. आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण – कार्ययोजना का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया ।	प्रशासकीय अनुमोदन हेतु वित्त विभाग को नस्ती अप्राप्त ।
9. पुलिस प्रशिक्षण एवं पुलिस आवासीय भवनों का निर्माण – कार्ययोजना का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया ।	प्रशासकीय अनुमोदन हेतु वित्त विभाग को नस्ती अप्राप्त ।
10 कारागार अवसंरचना का सुदृढीकरण – कार्ययोजना का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया ।	प्रशासकीय अनुमोदन हेतु वित्त विभाग को नस्ती अप्राप्त ।

परिशिष्ट – 2

वर्ष 2010–11 में विभिन्न विभागों को विमुक्त राशि एवं उसके विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति

Details of yearwise 13 FCs Grants Rs. In cr.

SN	Items	2010-11	Amt received from GOI	UC of 2010-11	2011-12
1	Capacity Building	4.00	4.00	NA	4.00
2	Local Bodies (General Basic)	194.40	194.40		225.40
A.	PRIs	155.56	155.56	NA	180.38
B.	ULBs	38.84	38.84	NA	45.02
3	Local Bodies (Spl. Area Basic Grants)	21.10	21.10	NA	21.10
4	Local Bodies(Special Area Performance Grants)	0.00	0.00		10.50
5	Water Sector	0.00	0.00		22.00
6	Grant for State Statistical Systems	3.60	0.00		3.60
7	Employee & Pension database	2.50	2.50	NA	0.00
8	Maintenance of Roads and Bridges	0.00	0.00		69.00
	Total Non-Plan Grants	**225.60**	**222.00**		**355.60**
9	State specific Needs	0.00	0.00		320.25
10	Elementary Education	136.00	136.00		154.00
11	Forests	51.39	51.39	UC is provided	51.39
12	UID	18.20	9.10	NA	18.20
13	District Innovation Fund	0.00	0.00		4.50
	Total Plan Grants	**205.59**	**196.49**		**548.34**
	Total Grants (Plan + Non-Plan)	**431.19**	**418.49**		**903.94**

13th FC Grants To PRIs. ₹ in cr.

क.	मद	वर्ष					योग
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
1	सामान्य मूल अनुदान (General basic grant)	155.55	180.39	210.84	249.8	295.77	1092.35
2	सामान्य निष्पादन अनुदान (General purpose grant)	0.00	61.68	144.64	170.64	201.28	578.24
3	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान (Special area basic grant)	16.88	16.88	16.88	16.88	16.88	84.40
4	विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान (Special area performance grant)	0	8.40	16.88	16.88	16.88	59.04
	योग	172.43	267.35	389.24	454.2	530.81	1814.03

13th FC Grants To ULBss.

₹ in cr.

क.	मद	वर्ष					योग
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
1	सामान्य मूल अनुदान (General basic grant)	38.84	45.02	52.64	62.37	73.83	272.66
2	सामान्य निष्पादन अनुदान (General purpose grant)	0.00	15.42	36.16	42.66	50.32	144.56
3	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान (Special area basic grant)	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	21.10
4	विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान (Special area performance grant)	0	2.10	4.22	4.22	4.22	14.76
योग		43.06	66.76	97.24	113.47	132.59	453.08

State Specific Needs (Rs. In Cr.)*						
SN	Item	Year				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	Total
1	Development of the New Capital City	137.50	137.50	137.50	137.50	550.00
2	Police Training	10.50	10.50	10.50	10.50	42.00
3	Strengthening of Prison Infrastructure	37.50	37.50	37.50	37.50	150.00
4	Construction of Residential Accomodation for Police Personnel	62.50	62.50	62.50	62.50	250.00
5	Strengthening of Health Infrastructure	16.50	16.50	16.50	16.50	66.00
6	Conservation of Heritage	11.25	11.25	11.25	11.25	45.00
7	Construction of Anganwadies Centres	37.50	37.50	37.50	37.50	150.00
8	Academy of administration	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00
	Total	320.25	320.25	320.25	320.25	1281.00

* Year wise breakup is tentative.

परिशिष्ट – 3

विभागों से प्राप्त कार्ययोजना का विवरण

परिशिष्ट–3

प्राप्त कार्ययोजनाओं के संबंध में तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा इस पर वित्त विभाग का अभिमत

(1) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग :–

(अ) पंचायत नगरीय निकायों को अनुदान :– तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा इस पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार राशि untied fund के रूप में दी गयी है जिसमें यह शर्त दी गयी है कि राशि का अंतरण केन्द्र सरकार से प्राप्ति के 5 दिवस के अंदर कर दिया जावें । General peformance grant तथा special area peformance grant प्राप्त करने हेतु संबंधित वर्ष के पूर्व वर्ष के 31 मार्च तक निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर लिया जावे । जिसका Compliance वित्त विभाग के पत्र दिनांक 31.03.2011 द्वारा किया जा चुका है ।

विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी वर्ष 11–12 की 267.39 Cr. की कार्ययोजना (परिशिष्ट–9) पर चूंकि भारत सरकार के कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं है। विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई कार्ययोजना का अनुमोदन समिति द्वारा किया जाना है । (परिशिष्ट–4)

(ब) सड़क एवं पुलों का संधारण :– वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के नियमित संधारण तथा सतह नवीनीकरण हेतु राशि 73.90 Cr. (परिशिष्ट – 5) में चिन्हांकित सड़को हेतु चाही गई है । जबकि तेरहवें वित्त आयोग मे प्रावधानीत राशि 69.80 Cr. की है ।

(2) स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण :– विभागीय प्रस्ताव 50 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (23.00 लाख प्रति भवन की दर से), 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (49.00 लाख प्रति भवन की दर से), 20 आयुष औषधालय का निर्माण (15.00 लाख प्रति भवन की दर से) सहित कुल प्रस्ताव 16.46 Cr. का है । (परिशिष्ट–6)

विभाग प्रस्तुत की गई कार्ययोजना भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के अनुरूप है । विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई कार्ययोजना का अनुमोदन समिति द्वारा किया जाना है

(3) वनों का संरक्षण :– तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देश अनुसार वनों का संरक्षण मद में प्रथम दो वर्ष राशि बिना किसी शर्त के देय है जिसमें प्राथमिकता राज्य के सभी वन संभागों के वर्किंग प्लान बनाने को दिया जावें। शेष तीन वर्षों में राशि शर्तों के अधीन देय होगी । अनुदान राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा विकासीय कार्यों में तथा शेष 25 प्रतिशत वन संरक्षण में उपयोग किया जावे ।

विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 की प्रस्तुत कार्ययोजना 51.39 Cr. की है ।
(परिशिष्ट–7) कार्ययोजना वर्ष 2010–11 के अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप है ।
विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई कार्ययोजना का अनुमोदन समिति द्वारा किया जाना है ।

(4) **सांख्यिकी प्रणाली में सुधार :–** भारत सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होने के
कारण वर्ष 2010–11 में कार्ययोजना अनुमोदित नहीं हो पाई थी । विभाग द्वारा
कार्ययोजना वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक के लिये उपलब्ध करायी गयी है । वर्ष
2011–12 के लिये कार्ययोजना 3.54 Cr. की है । जिसे समिति द्वारा अनुमोदन हेतु
निर्णय लिया जाना है । (परिशिष्ट – 8)

(5) **नगरीय निकायों को अनुदान :–** तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा इस पर
भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार राशि untied fund के रूप में दी गयी
है जिसमें यह शर्त दी गयी है कि राशि का अंतरण केन्द्र सरकार से प्राप्ति के 5 दिवस
के अंदर कर दिया जावें । General peformance grant तथा special area
peformance grant प्राप्त करने हेतु संबंधित शर्तों को पूर्ण कर लिया गया है ।
विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी वर्ष 11–12 की 66.75 Cr. की कार्ययोजना
(परिशिष्ट–9) पर चूंकि भारत सरकार के कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं है अतः समिति
द्वारा कार्ययोजना के अनुमोदन के संबंध में निर्णय लिया जाना है ।

(6) <u>अन्य विभाग :–</u> निम्नांकित विभागों से कार्ययोजना अप्राप्त है :–

1. सामान्य प्रशासन विभाग (जिला नवाचार निधि एवं प्रशासन अकादमी का निर्माण)
2. राजस्व विभाग (क्षमता निर्माण)
3. संस्कृति विभाग (पुरातत्व संरक्षण)
4. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (यू.आई.डी.)

परिशिष्ट – 4

पंचायत स्थानीय निकायों को अनुदान

परिशिष्ट-4

परिशिष्ट – क

छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
तेरहवें वित्त आयोग वर्ष 2011–12 के लिये प्राप्त होने वाले कुल अनुदान का विवरण

(निधि करोड रू. में)

वर्ष	सामान्य मूल अनुदान	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	परफारमेन्स बजट	योग
1	2	3	4	5
2011-12	180.39	25.30	61.70	267.39

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2011–12 में राज्य को सामान्य मूल अनुदान से रूपये 180.39 करोड़, विशेष क्षेत्र मूल अनुदान रूपये 25.30 करोड़ प्राप्त होंगे। परफारमेन्स ग्रान्ट रूपये 61.70 करोड़ प्राप्त करने के लिए वित्त आयोग की आवश्यक शर्तों का पालन किया जा रहा है, जिनमें से

1– पंचायतों में प्रिया साफ्टवेयर में लेखा संधारण की कार्यवाही प्रचलन में है।

2– प्रदेश के मुख्य बजट में पंचायती राज संस्थाओं के लिए सप्लीमेन्ट्री बजट बना दिया गया है।

3– त्रिस्तरीय पंचायतों के ऑडिट का कार्य स्थानीय संपरीक्षा विभाग कर रहा है।

4– राज्य में लोक आयुक्त पदस्थ है।

5– तेरहवें वित्त आयोग की प्राप्त किश्तों को समयावधि में पंचायतों में हस्तांतरण किये जाने की कार्यवाही के लिए जिला पंचायतों को निर्देशित किया जा चुका है।

अतः परफारमेन्स ग्रान्ट भी वर्ष 2011–12 में प्राप्त होना संभावित है। राज्य शासन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को तेरहवें वित्त आयोग की जो निधि प्राप्त होगी, उसका व्यय सामान्य अनुदान के निर्धारित Sector Wise प्रतिशत के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा कार्य योजना अनुसार व्यय किया जायेगा।

(हस्ताक्षर)

प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ट – ख

छत्तीसगढ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत
General Area Basic Grant एवं Aggregate Special Area Grant
की कार्य योजना वर्ष 2011–12
जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत

प्रति जिला पंचायत औसत 1 करोड़
प्रति जनपद पंचायत औसत 25 से 30 लाख

(निधि करोड रू में)

क्रमांक	सेक्टर (कार्य विवरण)	सामान्य क्षेत्र अनुदान	विशेष क्षेत्र अनुदान	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	स्वास्थ्य	19.00	2.70	35%
2	पेयजल	8.15	1.30	15%
3	शिक्षा	5.40	0.80	10%
4	पोषण	2.70	0.40	5%
5	विकास एवं अधोसंरचना कार्य	13.60	2.00	25%
6	समाज कल्याण	1.00	0.15	2%
7	विद्युत/सौर ऊर्जा	1.60	0.25	3%
8	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट निधि	2.20	-	4%
9	प्राकृतिक आपदाओं हेतु सुरक्षित निधि	0.75	-	1%
	योग :–	54.40	7.60	100%

Aggregate Special Areas Grant के लिये कार्य योजना वर्ष 2010–11 में प्रस्तावित राशि का व्यय केवल अनुसूचित क्षेत्रों के विकास कार्यों में ही किया जायेगा।

प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(322)

परिशिष्ट – ग

छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत
General Area Basic Grant एवं Aggregate Special Area Grant
की कार्य योजना वर्ष 2011–12
जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत

अ :– जिला पंचायत/जनपद पंचायत के लिए कार्ययोजना

प्रति जिला पंचायत औसत 1 करोड़
ति जनपद पंचायत औसत 25 से 30 लाख

जिला पंचायतों को तेरहवें वित्त आयोग आबंटन के प्रदत्त 10% निधि एवं जनपद पंचायत को प्राप्त होने वाली 20% आबंटन से स्वीकृत किये जाने वाले कार्यो की कार्य योजना 2011–12 निम्नानुसार है।

1– स्वास्थ्य :–

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 35% निधि से जिला/जनपद पचांयत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में बिजली/पानी/शौचालय सुविधा/बीमार व्यक्तियों के परिजनों के रुकने हेतु अतिरिक्त कक्ष निर्माण/भोजन शेड निर्माण कार्य। पेयजल शुद्धिकरण उपकरण/दवाई। सार्वजनिक स्थलों/भवनों में शौचालय मूत्रालय निर्माण/हाईस्कूल स्तर तक शालाओं में शौचालय सुविधा/पेयजल सुविधा/पेयजल शुद्धिकरण उपकरण/पूर्व में उपलब्ध अधोसंरचनाओं का रखरखाव।

2– पेयजल :–

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 15% निधि से जिला/जनपद पचांयत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामों में हैण्ड पम्पों के प्लेटफार्म्स का निर्माण/मरम्मत, हैण्ड पम्प के सुधार की सामान्य सामग्री, सोख्ता गड्ढों, वाटर रिचार्ज संरचना का निर्माण कार्य। पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के पाइप, ग्राम में जल निकासी हेतु नाली निर्माण, नलयुक्त प्लास्टिक टंकी लगाकर सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल उपलब्ध कराना, ग्रामों में नलजल सुविधा बढ़ाने के कार्य/हैण्डपंपों में विद्युत पंप लगाना/पाईप लाईन बढ़ाने एवं लगाने के कार्य। बाजारों में पेयजल सुविधा। निस्तार के जल स्त्रोतों का संधारण/छोटे नालों में कम लागत की पानी रोकने वाली संरचना का निर्माण/पूर्व में संचालित योजनाओं का संधारण।

3– शिक्षा :–

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 10% निधि से जिला/जनपद पचांयत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामों में प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवनों का संधारण कार्य/कन्या शालाओं/आश्रम शालाओं में अतिरिक्त कक्ष एवं आहाता निर्माण/प्राथमिक/माध्यमिक शाला छात्रावास भवनों में आवश्यक रखरखाव एवं भवन मरम्मत/बिजली पानी की सुविधा/वाचनालय की पुस्तके/छात्रावास में भोजन बनाने, खाने के उपकरण/छात्रावासियों के लिए के खेल उपकरण/कम लागत के छोटे खेल मैदान निर्माण/शालाओं में शिक्षण सामग्री/छात्रावास/प्रयोग शालाओं में उपकरण। विशेष क्षेत्र के लिए उपलब्ध

निधि से अजजा वर्ग के प्राथमिक शालाओं के बच्चों को पठन पाठन सामग्री का प्रदाय भी किया जा सकेगा।

4— पोषण :—

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 5% निधि से जिला/जनपद पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में आँगनबाड़ी भवन में किचन शेड निर्माण/ बच्चों के बैठने/खेलने के उपकरण, प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में किचन शेड निर्माण/ बच्चो के लिये खाना बनाने, परोसने, बैठने की सामग्री एवं मध्यान्ह भोजन बनाने हेतु रसोई गैस उपकरण (जहाँ रिफिलिंग की सुविधा हो) का प्रदाय। आँगनवाडी केन्द्रों का वार्षिक रखरखाव एवं सुधार, विद्युतीकरण, शुद्ध पेयजल रखने एवं पेयजल शुद्धिकरण के उपकरणों का प्रदाय। पूर्व से संचालित योजनाओं के रखरखाव का कार्य।

5— अधोसंरचना निर्माण/विकास कार्य :—

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 25% निधि से जिला/जनपद पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत से पूर्व निर्मित परिसिम्पत्तियों का रखरखाव/उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण/खाद्य भण्डारण गोदाम/सी.सी.रोड निर्माण/नाली निर्माण, पंचायत मुख्यालय से आश्रित ग्रामों को जोड़ने वाले प्रथम श्रेणी मार्ग निर्माण एवं उसमें छोटे पुल—पुलिया का निर्माण/सामुदायिक भवन निर्माण/यात्री प्रतीक्षालय, रंगमंच, चबूतरा, मंगल भवन, कांजी हाऊस भवन, तालाबों में घाट निर्माण, व्यावसायिक परिसर एवं दुकान निर्माण। चीरघर के पास शेड निर्माण/ मुक्तिधाम के पास शेड निर्माण, लघु वनोपज संग्रहण के छोटे गोदाम (तेन्दूपत्ता नही)। बाजारों में नाली निर्माण, बाजार शेड निर्माण/बाजार स्थल में कॉक्रीटीकरण/ आमजनों के बैठने के लिए शेड निर्माण/पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने वाले कार्य ।

6— समाज कल्याण :—

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 2% निधि से जिला/जनपद पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रितों/निःशक्तों के लिए रहवासी सुविधा, निशक्त छात्र—छात्राओं के उपकरण, शैक्षणिक सामग्री, रैम्प का निर्माण। पूर्व से संचालित योजनाओं का रखरखाव

7— सौर ऊर्जा/विद्युत ऊर्जा :—

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 3% निधि से जिला/जनपद पचांयत के ग्रामीण क्षेत्रों में अनु.जाति/अनुसूचित जन जन जाति के लघु/सीमांत कृषकों के पंपों ऊर्जाकरण हेतु लाईन विस्तार कार्य, गलियों/ सार्वजनिक स्थलों में प्रकाश व्यवस्था, सोलर लाईट लगाना। पूर्व से संचालित योजनाओं का रखरखाव

8— प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट :—

जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को प्राप्त आबंटित निधि में से कुल 4% निधि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट निधि होगी। जिला पंचायत को कुल आबंटित निधि में से 1% राशि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए व्यय की जा सकेगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेतु आरक्षित निधि का 0.20% राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के व्यय के लिए जिला पंचायत में सुरक्षित रखा जायेगा। जिला पंचायत शेष 0.80% निधि का उपयोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिये व्यय कर सकेंगी।

जनपद पंचायत को आबंटित निधि से जनपद पंचायतें 3% प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट पर व्यय कर सकेंगी। इसमें कार्यालयीन व्यय, कम्प्यूटर प्रिन्टर क्रय, कम्प्यूटर प्रिन्टर सामग्री, फर्नीचर, 13वें वित्त आयोग के कार्यालयीन कार्य/डाटा एन्ट्री के लिए मानदेय व्यय, लेखा संधारण पर आऊट सोर्सिंग व्यय, भ्रमण व्यय, प्रशिक्षण व्यय, परामर्शदात्री सेवाओं पर ... सेवाओं के कम्प्यूटराईजेशन पर किया जा सकेगा।

9— प्राकृतिक आपदाओं हेतु सुरक्षित निधि :—

जिला पंचायत/जनपद पचांयत को प्राप्त निधि की 3 प्रतिशत राशि सुरक्षित निधि के रूप में जिला पचांयत स्तर पर रखी जायेगी जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने बाढ, सूखा, बिजली गिरने, जंगली जानवरों द्वारा घायलों के प्रारंभिक उपचार, आगजनी से प्रभावितों को तत्काल जीवनोपयोगी सामग्री उपलब्ध कराने/पुनर्वास के लिए आरक्षित होगी। निधि का उपयोग जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं संबंधित जिला पंचायत के अध्यक्ष के परामर्श पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजनों में व्यय न होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में सुरक्षित निधि का उपयोग अधोसंरचना विकास मद में किया जा सकेगा।

Aggregate Project Areas grant से प्राप्त आबंटन का उपयोग उपरोक्त वर्णित कार्यो के लिये अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के कार्यो पर निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप किया जा सकेगा।

(हस्ताक्षर)

प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(34)

परिशिष्ट – घ

छत्तीसगढ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत
General Area Basic Grant एवं Aggregate Special Area Grant
की कार्य योजना वर्ष 2011–12
ग्राम पंचायतों के लिए

अ :– ग्राम पंचायत को वर्ष 2011–12 में प्राप्त होने वाली अनुदान राशि रूपये 125.99 करोड़

प्रति ग्राम पंचायत औसत 01 लाख से 1.30 लाख

तेरहवें वित्त आयोग से वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य को प्राप्त होने वाली निधि का 70 प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायत को आबंटित किया जायेगा। यह प्रति ग्राम पंचायत औसत 1 से 1.30 लाख रू अनुमानित प्राप्त होगा।

ग्राम पंचायत में जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के अनुसार यदि सेक्टरवार निधि का विभाजन किया जाता है तो ग्राम पंचायतें सभी सेक्टर के कार्य करने में समर्थ नहीं होगी अतः निम्नानुसार कार्यो के लिए अनुशंसा की जाती है। योजनांतर्गत कार्यो के लिए ग्राम सभा में कार्य योजना स्वीकृत कराई जायेगी एवं स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार ग्राम में कार्य लिये जा सकेंगे। ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया जाता है कि वे,

अ. 13वे वित्त आयोग के अनुदान से ग्रामों में स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने के उपायों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाय।

ब. ग्राम पंचायतों द्वारा योजनांतर्गत ऐसे कार्य लिये जाये जो कम लागत के, शीघ्र पूर्ण कराये जाने वाले एवं ग्रामीणजनों को लाभ पहुँचाने वाले हों।

स. ग्राम पंचायतों से निम्नॉकित कार्य लिए जाने की अनुशंसा की जाती है।

1– ग्राम पंचायतों का लेखा संधारण एवं लेखाओं का कम्प्यूटराईजेशन :–

ग्राम पंचायतें वित्त आयोग से प्राप्त सामान्य अनुदान से प्राप्त निधि का अधिकतम 10% ग्राम पंचायतों का लेखा संधारण एवं लेखाओं का कम्प्यूटराईजेशन पर व्यय कर सकेंगी। इसमें 13वें वित्त आयोग के कार्यालयीन कार्य के लिए स्टेशनरी व्यय, पचांयतों के प्रिया साफ्ट में लेखा संधारण के लिए डाटा एन्ट्री के लिए व्यय, लेखाओं के कम्प्यूटराईजेशन, अन्य कार्यालयीन व्यय, कम्प्यूटर प्रिन्टर सामग्री, फर्नीचर, आदि पर व्यय किया जा सकेगा।

2–ग्रामों मे स्वच्छ वातावरण प्रदान करने वाले कार्यो में से :–

सार्वजनिक स्थलों/भवनों में शौचालय, मूत्रालय निर्माण, बी.पी.एल. परिवार वाले घरों में शौचालय निर्माण, पेयजल शुद्धिकरण उपकरण, ओ.आर.एस. पैकेट जैसी जीवनरक्षक दवाई। शालाओं में शौचालय सुविधा/पेयजल सुविधा/पेयजल शुद्धिकरण उपकरण/पूर्व में उपलब्ध अधोसंरचनाओं का रखरखाव।

3– ग्रामों में शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने वाले कार्यो में से :–

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामों में हैण्ड पम्पों के प्लेटफार्म्स का निर्माण/मरम्मत, हैण्ड पम्प के सुधार की सामान्य सामग्री, सोख्ता गड्ढों, वाटर रिचार्ज संरचना का निर्माण कार्य।

पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के पाईप, ग्राम में जल निकासी हेतु नाली निर्माण, नलयुक्त प्लास्टिक टंकी लगाकर सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल उपलब्ध कराना, ग्रामों में नलजल सुविधा बढाने के कार्य/हैण्डपंपों में विद्युत पंप लगाना/पाईप लाईन बढ़ाने एवं लगाने के कार्य। बाजारों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना एवं लोगों के लिए छायादार स्थल का निर्माण। निस्तार के जल स्त्रोतों का संधारण। पूर्व में संचालित योजनाओं का संधारण।

4– ग्राम के बच्चों को शिक्षण सुविधा बढाये जाने के उपायों में :–

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामों में प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं का वार्षिक संधारण कार्य प्राथमिक/माध्यमिक शाला आवश्यक रखरखाव एवं भवन मरम्मत/बिजली पानी की सुविधा/वाचनालय की पुस्तकें मध्यान्न भोजन बनाने, खाने के उपकरण/छात्रों के लिए के खेल उपकरण शालाओं में शिक्षण सामग्री/छात्राओं की शालाओं में उनके बैठने की व्यवस्था,आदि कार्य लिये जा सकते हैं। विशेष क्षेत्र के लिए उपलब्ध निधि से अजजा वर्ग के प्राथमिक शालाओं के बच्चों को पठन–पाठन सामग्री का प्रदाय भी किया जा सकेगा।

5–ग्राम के 06 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण क्षेत्र में :–

ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनवाड़ी केन्द्र के भवन में किचन शेड निर्माण/बच्चों के बैठने/खेलने के उपकरण, किचन शेड निर्माण/बच्चो के लिये खाना बनाने, परोसने, बैठने की सामग्री का प्रदाय। ऑगनवाडी केन्द्रों का वार्षिक रखरखाव एवं सुधार, विद्युतीकरण, ऑगनवाडी में शुद्ध पेयजल रखने एवं पेयजल शुद्धिकरण के उपकरणों का प्रदाय। पूर्व से संचालित योजनाओं के रखरखाव का कार्य।

6– अधोसंरचना निर्माण/विकास कार्य :– ग्राम पंचायतों में पूर्व से निर्मित परिसिम्पत्तियों का रखरखाव/उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण/सी.सी.रोड निर्माण/नाली निर्माण, पंचायत मुख्यालय से आश्रित ग्रामों को जोड़ने वाले मार्ग निर्माण एवं उसमें छोटे पुल–पुलिया का निर्माण यात्री प्रतीक्षालय, रंगमंच, चबूतरा, तालाबों में घाट निर्माण, बाजारों में नाली निर्माण, बाजार शेड निर्माण/बाजार स्थल में कॉक्रीटीकरण/आमजनों के बैठने के लिए शेड निर्माण कार्य, ग्राम की गलियों में विद्युत लाईन विस्तार कार्य, गलियों/सार्वजनिक स्थलों में प्रकाश व्यवस्था, सोलर लाईट लगाना। आदि कार्य लिये जा सकते हैं।

7– प्राकृतिक आपदाओं हेतु सुरक्षित निधि :– ग्राम पंचायतें उन्हें प्राप्त निधि में से अधिकतम रूपये 5000.00 (रू पॉच हजार मात्र) या अनुदान का पॉच प्रतिशत, ग्राम में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने, प्रभावितों को तत्काल जीवनोपयोगी सामग्री/खाद्यान्न उपलब्ध कराने/अस्थायी आवास बनाने के लिए आरक्षित रखेंगी। निधी का उपयोग ग्राम में किसी परिवार में अन्य कारणों से भोजन की उपलब्धता न होने पर तत्काल भोजन की व्यवस्था करने हेतु भी किया जा सकेगा। निधि का उपयोग ग्राम पंचायत के सरपंच/उपसरपंच/सचिव के निर्णय अनुसार किया जायेगा। आगामी ग्राम पंचायत/ग्राम सभा में इसके व्यय विवरण प्रस्तुत कर व्यय का अनुमोदन कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजनों में व्यय न होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में सुरक्षित निधि का उपयोग विकास कार्यो में किया जा सकेगा।

(हस्ताक्षर)

प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ट – 5

सड़क एवं पुल मरम्मत अनुदान

परिशिष्ट-5

प्रपत्र-'एक'

वर्ष 2011-12 में नवीनीकरण कार्यों के प्रस्तावों का जिलेवार गोसवारा

स.क्र.	जिला	सड़कों की कुल संख्या	कुल लंबाई (किमी.)	नवीनीकरण की राशि (लाख रू.)	रिमार्क
1	बस्तर	13	70.27	737.84	
2	बिलासपुर	13	69.77	680.26	
3	दंतेवाड़ा	3	20.19	212.00	
4	दुर्ग	23	84.69	825.73	
5	जांजगीर-चांपा	4	16.35	159.41	
6	कांकेर	15	49.62	521.01	
7	कवर्धा	21	67.19	655.10	
8	कोरबा	14	56.29	548.83	
9	महासमुंद	13	39.07	380.92	
10	कोरिया	20	89.68	874.38	
11	रायपुर	7	41.23	401.99	
12	रायगढ़	7	24.10	234.98	
	राजनांदगांव	17	71.09	693.13	
	सरगुजा	9	47.64	464.49	
	योग	179	747.18	7390.07	

परिशिष्ट — 6

स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण

पा०।२।१८२-6

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

क्रमांक / 07 / भवन विकास / 2011 / 20 रायपुर, दिनांक 21 / 11 / 2011

प्रति,

अवर सचिव,
छ0ग0 शासन स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण विभाग, मंत्रालय,
रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय:—तेरहवें वित्त आयेग की अनुशंसानुसार प्राप्त सहायता अनुदान अन्तर्गत वर्ष 2011—12 की कार्य योजना बावत्।

संदर्भ:—शासन का पत्र क. एफ 10—17 / 10 / नौ / 17 रायपुर दिनांक 19.04.2011.

—00—

वर्ष 2011—12 में तेरहवें वित्त आयेग अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग को रू. 1650.00 लाख अनुदान प्राप्त हुआ हैं, जिसमें से रू. 1346.00 लाख संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को उप स्वा. केन्द्र एवं प्राथ.स्वा. केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु प्राप्त हुये हैं, जिसकी कार्य योजना निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :—

क.	कार्य का नाम	कार्य की संख्या	वर्ष 2011—12 में प्रावधानित राशि	निर्माण एजेन्सी
	उप स्वा. केन्द्रों का निर्माण	50	1150.00 लाख	लोक निर्माण विभाग
2	प्राथ0स्वा0 केन्द्रों का निर्माण	04	196.00 लाख	लेक निर्माण विभाग
योग		54	रू. 1346.00 लाख	

उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु प्रति भवन निर्माण रू. 23.00 लाख की लागत एवं प्राथ0स्वा0 केन्द्र भवन निर्माण हेतु प्रति भवन रू. 49.00 लाख की लागत से प्रावधान किया गया हैं। उपरोक्त कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

19/04/11

(3०)

संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

क्रमांक / 2 / लेखा / 2011 / 32 — रायपुर, दिनांक 12 JAN 2011

प्रति

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय रायपुर।

विषय :- 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदानों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति की बैठक।

संदर्भ :- आपका पत्र एफ 10—17 / 10 / नौ / 17, दिनांक 11.1.2011

———000———

विषयान्तर्गत 13वें वित्त आयोग के लिए संचालनालय के पत्र कमांक/2/ लेखा/ 2009/151 द्वारा राशि रू0 3584.00 लाख का प्रस्ताव विभाग के माध्यम से राज्य योजना मंडल को प्रेषित किया गया था, छ0ग0 शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अपने पत्र कमांक 1670/798/सा./10/नौ/17 रायपुर दिनांक 10.03.2010 में 13वें वित्त आयोग की अनुसंशाऐं की प्रति उपलब्ध कराई है, जिसमें 100 आयुष डिस्पेन्सरी के निर्माण की अनुसंशा की गई। संदर्भित पत्र के साथ संलग्न वित्त विभाग के पत्र कमांक 42/एल—एफ—4/2010/ब—4/चार दिनांक 6.01.2011 के द्वारा राज्य उच्च स्तरीय समिति की बैठक हेतु कार्य योजना चाही गई है। प्रेषित प्रस्ताव में प्रति डिस्पेन्सरी भवन 12.00 लाख के मान से प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में निर्माण कार्य के दरों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए प्रति डिस्पेन्सरी भवन निर्माण की लागत लगभग राशि रू0 15.00 लाख संभावित है।

13वें वित्त आयोग की अवधि 2010—11 से 2014—15 तक की है, 13वें वित्त आयोग की अनुसंशा आधार पर प्रति औषधालय राशि रू0 15.00 लाख के मान से वर्ष वार कार्य योजना निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

(राशि लाखों में)

क्र0	वर्ष	निर्माण हेतु औषधलयों की सख्या	आवश्यक राशि	रिमार्क
1	2010—11	0	0	वित्तीय वर्ष समाप्ति में मात्र 03 माह शेष होने से राशि का प्रावधान नहीं किया गया है।
2	2011—12	20	300.00	
3	2012—13	20	300.00	
4	2013—14	20	300.00	
5	2014—15	20	300.00	
योग		80	1200.00	

D:\Nsc Doc\Letter 27

(358)

परिशिष्ट — 7

वन संरक्षण

2D

ANNEXURE-1
WORK WISE FINANCIAL PROPOSAL FOR THE YEAR 2011-12

S. No.	Description of the work	Unit	Physical	Financial
1	2	3	4	5
1	Creation of forest posts in LWE Areas	No.	48.00	1200.00
3	Installation of generators at important offices	No.	Intallation of Generators	157.00
4	Community organization and capacity Building/Training	No.	Capacity Building/Training & Marketing support in 400 JFMC	70.00
5	Improving rural infrastructure and Forest village development		Forest Village Development	700.00
6	Implementing poverty alleviation and income generating	No.	Bamboo, MFP, Lac & Vami	600.00
7	Upgradation of Forest Road	KM	131.00	1259.00
8	Rehabilitation & Regeneration of Degraded Forests			
	a. Survey and Preparation of Action plan	Ha.	100000.00	
	b. Plantation	Ha.	2000.00	853.00
9	Regeneration of Degraded Bamboo Forests			
	a. Regeneration of Degraded Bamboo Forests	Ha.	4000.00	
	b. Establishment of Processing Centre/Working sheds	No.	5.00	300.00
	Total :-			5139.00

A.P.C.C.F. (Dev./Plan.)
Chhattisgarh, Raipur

(350)

परिशिष्ट – 8

सांख्यिकी प्रणाली का उन्नयन

परिशिष्ट-8

Improvement of Statistical System at State & District Levels :-proposed budget allocation activity & year wise

DES : Chhattisgarh

Total Grant for Entire period : Rs. 18.00 crore

Training Organized by CSO : Rs. 1.80 crore

Grant for the State : Rs. 16.20 crore

Rs. In Lakh

SN	Name of the activities	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15			2015-16			Total		
		State HQ	District	Total	State HQ	District	Total	State HQ	District	Total	State HQ	District	Total	State HQ	District	Total	State HQ	District	Total
1	Preparation of Business	16.31	132.88	**149.19**	10.08	110.16	**120.24**	10.56	118.32	**128.88**	12.06	118.32	**130.38**	11.09	127.30	**138.38**	60.09	606.98	667.07
2	Strengthening of Local Bodies	22.04	49.36	**71.40**	8.88	47.52	**56.40**	9.36	50.28	**59.64**	9.36	50.28	**59.64**	9.89	53.32	**63.20**	59.53	250.76	310.28
3	Improvement of data in respect of Farm Activities	12.54	49.36	**61.90**	5.88	47.52	**53.40**	6.12	50.28	**56.40**	6.12	50.28	**56.40**	6.38	53.32	**59.70**	37.04	250.76	287.80
4	Pooling of Central and State sample data for generating district level parameters	16.62	8.80	**25.42**	15.80	8.00	**23.80**	16.55	8.48	**25.03**	16.55	8.48	**25.03**	17.38	9.01	**26.38**	82.90	42.77	125.66
5	Providing network connectivity among districts and State headquarters	5.30	13.50	**18.80**	4.20	14.40	**18.60**	4.44	14.40	**18.84**	4.44	14.40	**18.84**	4.70	14.40	**19.10**	23.08	71.10	94.18
6	Training of newly recruited staff	27.00	0.00	**27.00**	27.00	0.00	**27.00**	27.00	0.00	**27.00**	27.00	0.00	**27.00**	27.00	0.00	**27.00**	135.00	0.00	135.00
	Total	99.81	253.90	353.71	71.84	227.60	299.44	74.03	241.76	315.79	75.53	241.76	317.29	76.44	257.34	333.78	397.64	1222.36	1620.00

परिशिष्ट – 9

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

परिशिष्ट – 9

प्रपत्र – ग

13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु वर्षवार मांग

(राशि करोड़ रू. में)

.No	Name of Project	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	Tota
1	Solid Waste Management	10.85	18.77	35.45	43.11	50.37	158.5
2	Storm Water Drain	14.20	22.03	32.07	37.44	43.905	149.6
3	Water Supply	8.62	13.35	19.44	22.68	26.51	90.6
4	Sanitation and Other	3.88	6.01	8.75	10.20	11.78	40.62
5	Data Base	5.50	6.60	1.50	0.00	0.00	13.6
		43.05	66.76	97.21	113.43	132.57	453.0

आयुक्त
संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़ रायपुर

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

254

13 वें वित्त आयोग के अनुशंसा अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के लिये

कुल अनुदान

प्रपत्र – क

राशि रू. 453.02 करोड़ का वर्ष वार विवरण

क.	वर्षवार	सामान्य (बुनियादी) मूल अनुदान (अनुबंध10.15क) (पैरा 10.159)	सामान्य निष्पादन अनुदान (अनुबंध10.15ख) (पैरा 10.159)	योग	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान (अनुबंध10.15ग) (पैरा 10.159)	विशेष क्षेत्र (बुनियादी) निष्पादन अनुदान (अनुबंध 10.15घ) (पैरा 10.159)	योग	कुल अनुदा (राशि व में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2010–11	38.8446		38.841	4.216	0	4.216	43.057
2	2011–12	45.0389	15.407	60.446	4.216	2.098	6.314	66.75
3	2012–13	52.652	36.127	88.779	4.216	4.216	8.432	97.21
4	2013–14	62.383	42.621	105	4.216	4.216	8.432	113.43
5	2014–15	73.8525	50.274	124.13	4.216	4.216	8.432	132.55
ल		272.771	144.429	417.2	21.08	14.746	35.83	453.0

आयुक्त
संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़ रायपुर

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़